# राजस्थान विधान सभा

## छब्बीसवीं बैठक, दिनांक १ अप्रैल, १९५३

### सदन का कार्य ८/२२ बजे प्रातः प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

### तारांकित प्रश्नोत्तर

(प्रश्न संख्या ८४२ सम्बन्धित प्रश्न कर्त्ता द्वारा वापिस लिया गया)

### प्रश्न संख्या ८४३

**श्री हनवन्तसिंह**—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सन् १९५१-५२ में जैसलमेर जिले में माइनर इर्रिगेशन में कोई काम किया गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि माइनर इर्रिगेशन स्कीम में कुछ खडिन बन्धवाने का था ?

(३) क्या एक भी खडिन बंधा है ? अगर उत्तर "ना" में है तो क्या कारण ?

**श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)**—(१) नहीं ।

(२) व (३) हां । १९५१-५२ के बजट में माइनर इर्रिगेशन के अन्तर्गत खडिन खुदवाने का सुझाव था परन्तु टेक्निकल स्टाफ की कमी के कारण कार्य नहीं किया जा सका ।

**श्री हनवन्तसिंह**—अब कब तक होगा ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—इस वर्ष रखा गया है ।

### प्रश्न संख्या ८४४

**श्री हनवन्तसिंह**—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि कन्ट्रोल के अनाज के भाव जैसलमेर में राजस्थान के दूसरे इलाकों से महंगे हैं ?

(२) अगर महंगे हैं, तो क्या कारण है ?

(३) क्या सरकार सस्ते अनाज की दुकान खोलना चाहती है ? अगर उत्तर 'ना' में है तो क्यों नहीं ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—(१) यह बात सत्य नहीं है। जैसलमेर में अनाज कन्ट्रोल भाव से महंगा नहीं बिकता है।

(२) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

इसके अलावा २२ दुकानें सस्ते अनाज की वहां चालू हैं और कलेक्टर को यह अख्तयार है कि यदि वह आवश्यक समझे तो और दुकानें भी खुलवा सकता है।

**प्रश्न संख्या ८४५**

**श्री रघुराजसिंह**—Will the Minister for Forests be pleased to state :—

(a) Is the Government aware of the corruption going on among the Forest Staff in Kotah District and specially in Kishenganj and Shahabad Tehsils?

(b) Has the Government made any enquiries in this connection and with what results?

(c) What action has the Government taken to check this evil?

**श्री अमृतलाल यादव**—(ए) नहीं।

(बी) नहीं।

(सी) यदि इस प्रकार की बात सरकार के ध्यान में लाई जावेगी तो अवश्य जांच की जावेगी।

**प्रश्न संख्या ८४६**

**श्री रघुराजसिंह**—Will the Minister for Forests be pleased to state:—

(a) Had specific complaints been lodged by the cultivators of Khandala village with the D. F. O. Baran against the corrupt practice of the Nakedar? What was the result of the enquiry and what action has been taken against the Nakedar?

**श्री अमृतलाल यादव**—इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद मालूम होगा।

**श्री रघुराजसिंह**—इसकी जांच में कितना अर्सा लगेगा।

**श्री अमृतलाल यादव**—यह मामला डी. एफ. ओ. के पास चला जावेगा।

(श्री प्रतापसिंह, श्री धर्मपाल, श्री रोशनलाल, एवं श्री प्रभुदयाल की अनुपस्थिति के कारण प्रश्न संख्या ८४७ से ८५१ तक नहीं पूछे गये।)

**श्री हिम्मतसिंह**—आज भी बस टाइम पर नहीं पहुंची थी इसलिये टाईम पर नहीं आ सके हैं।

*प्रश्न संख्या ८५२

**श्री सज्जनसिंह**—क्या मन्त्री वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि तलवास गांव, तहसील नेनवा जिला बूंदी चारों तरफ से ऐसे बीहड़ पहाड़ों से घिरा हुआ है कि वहां के वाशिन्दों को मवेशी व बच्चों की जान का शेर व बघेरों की वजह से सदैव भय बना रहता है ?

(२) यदि हां तो क्या सरकार ऐसे स्थानों के निवासियों की जान व माल की रक्षा की दृष्टि से शेर व बघेरों की विशेष परिस्थितियों में मारने की इजाजत देने पर विचार करेगी ?

**श्री अमृतलाल यादव**–यह सत्य है कि गांव तलवास पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसमें चारों ओर घने जंगल भी हैं जिनमें शेर, बघेरे हमेशा रहते हैं । जब जब भी वन-पशुओं से ग्राम निवासियों को हानि पहुंचाने की सूचनायें प्राप्त होती हैं ऐसे पशुओं के नष्ट किये जाने के आदेश सम्बन्धित मुकामी अफसर द्वारा दे दिये जाते हैं ।

**श्री जसवन्तसिंह**—माननीय मन्त्री को यह कैसे मालूम होता है कि अमुक टाइगर मेन ईटर ( Men eater )हो गया है ?

**श्री अमृतलाल यादव**—जनता की तरफ से इत्तिलायें आती हैं कि फलां शेर मवेशियों को पकड़ कर ले गया है या फलां आदमी को घायल कर दिया है। इससे मालूम हो जाता है कि फलां शेर मेन ईटर हो गया है ।

**श्री जसवन्तसिंह**—क्या उस जंगल में वही एक टाइगर होता है जो आसानी से माननीय मन्त्री जी को मालूम हो जाता है कि यही टाइगर मेन ईटर हो गया है ?

**श्री अमृतलाल यादव**—टाईगर तो जंगलों में रहते हैं, शहरों में नहीं रहते इसलिये जो टाइगर गांवों में जाते हैं और मवेशियों को पकड़ कर ले जाते हैं या आदमियों पर हमला करते हैं उनको मारना जरूरी हो जाता है ।

**श्री जसवन्तसिंह**—जंगल में टाइगर तो बहुत होते हैं फिर मेन ईटर टाइगर को आइडेंटिफाइ ( identify ) कैसे किया जाता है कि यही टाइगर मेन ईटर है ?

**श्री अमृतलालयादव**—उस पर कोई नम्बर तो होते नहीं, फिर भी वह टाइगर हिला हुआ होता है इसलिये गांवों में आता है; शिकार पर आता है इससे मालूम हो जाता है।

**श्री हिम्मतसिंह**—हिले हुए तो सभी होते हैं। ऐसी सूरत में महकमा जंगल की तरफ से पर छाप लगा दी जाय कि यह टाइगर मेन ईटर है तो अच्छा रहेगा; आइडेंटीफिकेशन री से होगा । (हंसी)

Page No.4



**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—यह कार्य माननीय सदस्य को ही सौंपा जाता है।

**श्री हिम्मतसिंह**—मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं।

**श्री सज्जनसिंह**—माननीय मन्त्री जी के नोटिस में इस तरह की शिकायतें जो लाई गई उसके बारे में क्या प्रबन्ध किया गया?

**श्री अमृतलाल यादव**—माननीय सदस्य ने मेरे पास इस बारे में शिकायत की थी और मैंने उनसे कहा था कि मैं इस बारे में जांच करके इन्तजाम कर दूंगा। मैंने कलेक्टर वगैरह से पूछा तो मालूम हुआ कि ऐसी शिकायत नहीं आई है। माननीय सदस्य से निवेदन भी किया था कि कोई ऐसी शिकायत हो तो कोई एप्लिकेशन दे दें; पर वह दे नहीं सके थे।

**श्री सज्जनसिंह**—माननीय मन्त्री ने फरमाया कि कोई शिकायत मालूम नहीं हुई। कम से कम ५०-६० मवेशियों को टाइगर गांव से उठा कर ले गया है और वह गांव पहाडी के ऐन नीचे होने के कारण हर वक्त संभावना है कि शायद उनके बच्चों को उठा कर ले जाय। ऐसी स्थिति में गांव वालों को आत्म-रक्षा के लिये सुविधा देनी चाहिये। इसके लिये माननीय मन्त्री ने क्या एक्शन लिया हैं, बताने की कृपा करें?

**श्री अमृलाल यादव**—ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। आयेगी तो एक्शन लिया जायगा।

**श्री सज्जन सिंह**—मैंने निवेदन किया था, क्या वह शिकायत के रूप में नहीं समझा जायगा?

**श्री अमृतलाल यादव**—मैंने इस बारे में विस्तार से बता दिया है।

**श्री जसवन्तसिंह**—ऐसी स्थिति में सरकार क्या करने जा रही है?

**श्री अमृतलाल यादव**—कैसी स्थिति में?

**श्री जसवन्तसिंह**—टाइगर बच्चों को उठाने के लिये हिल जाता है तो उनके बचाव के लिय गवर्नमेन्ट क्या सोच रही है; क्या एक्शन लिया जायगा?

**श्री अमृतलाल यादव**—ऐसे टाइगर को मारने का इन्तजाम कर दिया जाता है।

**श्री सज्जनसिंह**—इस बारे में मन्त्री महोदय ने जो आज्ञा प्रसारित की, क्या उसके बारे में माननीय मन्त्री के पास रिपोर्ट पहुंच गई है?

**श्री अमृतलाल यादव**—मैं इस बारे में जवाब दे चुका हूं।

**श्री घासीराम**—ऐसे शेर से बचाव के लिये क्या तार खिंचे हुए हैं।

**श्री खेतसिंह**—क्या मेन ईटर टाइगर को मारने के लिये माननीय मन्त्री जी ने खुद जाकर उसको खतम करने का इन्तजाम किया है ?

**श्री अमृतलाल यादव**—यह में आपसे सीखूंगा ।

**श्री महाराज केसरीसिंहजी**—किसके द्वारा टाइगर को मारने का इन्तजाम किया है ?

**श्री अमृतलाल यादव**—प्रामाणिक शिकारी के द्वारा ।

**प्रश्न संख्या ८५३**

**श्री सज्जनसिंह**—क्या मंत्री वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि तलवास से आंतरदा जाने के एक मात्र रास्ते को, जो पहाडों पर हो कर सरकारी जंगल में से गुजरता है, ग्राम पंचायत जनता की सुविधा के लिए तैयार करवाना चाहती है, मगर वन विभाग वाले तैयार नहीं कराने देते ?

(२) क्या वन विभाग मंत्री जी इस असुविधा को दूर करने के आदेश जारी करेंगे ?

**श्री अमृतलाल यादव**—ग्राम तलवास से आंतरदा जाने वाले रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा जो स क बनाई जा रही है उसमें वन विभाग द्वारा कोई रुकावट नहीं डाली गई है। रैन्जर नैनवा को भी यह सूचना दी जा चुकी है कि वह किसी प्रकार की रुकावट न डालें।

**श्री सज्जनसिंह**—जंगल विभाग उनको रास्ता बनाने के लिये इजाजत नहीं दे रहा है तो इस बारे में माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि कोई दिक्कत नहीं दी जारही है। जब कि स्पेसिफिक कम्प्लेंट है और मैं उसे उपस्थित कर रहा हूं तो यह उत्तर कहां तक ठीक है ?

**श्री अमृतलाल यादव**—मैंने आपसे अर्ज किया कि इसकी इजाजत दी गई। सीधी रेंजर के पास भेज दी गई है कि उसको रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं है, वह रुकावट न डाले।

**प्रश्न संख्या ६५४ तथा ६५५**

**श्री अध्यक्ष**—श्री कपिल देव।

(अनुपस्थित)

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ८५६**

**श्री रघुराजसिंह**—Will the Minister for Food and Civil Supplies be pleased to state :—

(*a*) What is the present stock of wheat in Kotah District and how long is it likely to last?

[ श्री रघुराजसिंह ]

(*b*) Why the prices of wheat have gone so high?

(*c*) Has the Government taken any steps to check this inflation in view of the fact that no benefit is derived from it by cultivators?

**श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)**--(क) दिनांक १३ मार्च सन् ५३ को कोटा के सरकारी गोदामों में लगभग २९०० टन गेहूं मौजूद था, इसमें से १००० टन गेहूं जोधपुर भेजा जा रहा है। बाकी बचा हुआ गेहूं कोटा में खपत नहीं होगा क्योंकि आजकल सरकारी दुकानों पर गेहूं की बिक्री दिन प्रति दिन कम होती जारही है। ऐसी हालत में उपरोक्त स्टाक का कुछ हिस्सा दूसरे कमी वाले इलाकों में भिजवाया जायगा।

(ख) साधारणतया फसली साल के अन्त में गल्ले के भाव ऊंचे हो जाते हैं। कोटा जिले में गेहूं का भाव ऊंचा हो जाने का कारण यही था।

(ग) गेहूं के बढ़ते भावों को रोकने के लिये सरकार ने यह उचित समझा कि वहां पर सरकारी गोदामों में पर्याप्त गल्ला रखा जाय। इसलिये भारत सरकार की अनुमति से लगभग २६०० टन गेंहूं जो भारत सरकार का वहां रखा हुआ था राजस्थान सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है और संबंधित कलेक्टर को यह आदेश हैं कि वह जहां कहीं आवश्यक समझे स्थिति को सुधारने के लिये सरकारी दुकान खोल दे।

गेहूं के भाव अब गिरने लगे हैं अब भाव १३ रु० से २० रु० ७ आने मन तक हैं।

**श्री कंवरलाल जेलिया**--कोटा से जो बाहर से आया हुआ गल्ला था....

**श्री भोगीलाल पंड्या**--आप क्या फरमा रहे हैं सुना नहीं ?

**श्री कंवरलाल जेलिया**--मैं अभी साफ किये देता हूं।

**श्री अध्यक्ष**--क्या गल्ला साफ कर रहे हैं ?

(हंसी)

**श्री कंवरलाल जेलिया**--कोटा में जो बाहर से गल्ला आया क्या वह खाने के लायक था ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**--जी हां, खाने के लायक था। जिसे सारा हिन्दुस्तान खाता है वही गल्ला था।

**श्री रघुराजसिंह**--बाहर से गल्ला मंगाया गया और वहां से गल्ला बाहर भेजा गया, क्या इससे गेहूं की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**--२९०० टन गल्ला वहां है और उसमें से १००० टन गल्ला बाहर भेजा जाय इससे गल्ले की कीमत पर क्या असर पड़ सकता है। बाहर के गेहूं की बनिस्पत स्थानीय गेहूं को लोगों ने अधिक पसन्द किया।

Page No.7



**श्री कंवरलाल जेलिया**—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा से तो गल्ला बाहर भेजा गया और फिर गंगानगर से वहां मंगाना पड़ा इसका क्या कारण है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—यह सरकारी इन्तजाम की बात है। जहां से मंगवाने की आवश्यकता हो वहां से मंगवाया जाता है और जहां भेजने की आवश्यकता हो वहां भेजा जाता है।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—कोटा से गल्ला बाहर भेजा गया और फिर गंगानगर से कोटा लाया गया है इसका क्या कारण है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—राज की दुकानों में जितना आफटेक था, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा गेहूं रखा गया था। पर बाद में आफटेक बढ़ गया इससे बाहर से मंगाना पड़ा।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—गेहूं कोटा से बाहर भेजा गया, क्या यह ठीक है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—ठीक है, भेजा ही नहीं गया बल्कि बहुत ज्यादा भेजा गया।

**श्री रघुराजसिंह**—क्या यह सच है कि गेहूं आजादी (इफराद) से नहीं बेचा गया। दुकानें नहीं खोली गईं, इससे कीमत बढ़ गई ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—कलेक्टर को पूर्ण अधिकार हैं कि वह जहां उचित समझे दुकानें खोल दे। हो सकता है कि वहीं के लोग कलेक्टर के पास नहीं पहुंचे हों और वहां दुकानें नहीं खुलवाई हों।

**श्री हिम्मतसिंह**—क्या इस बात का ध्यान आयन्दा रखा जायगा कि कोटा का अच्छा गेहूं बाहर नहीं भेजा जायगा और बाहर का खराब गेहूं कोटा में नहीं मंगाया जायगा।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—कोटा का खराब गेहूं बाहर भेजा गया है और गंगानगर का अच्छा गेहूं कोटा में भेजा गया है।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—क्या आपने जांच करवाई थी कि कोटा में अच्छा गेहूं भेजा गया था ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—जी हां, भारत सरकार ने जांच करवाकर भेजा था।

### प्रश्न संख्या ८५७

**श्री रघुराजसिंह**—Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(*a*) Is the Government aware of the hardships and losses suffered by the cultivators of Kishanganj tehsil in Kotah district due to mismanagement in the distribution of Umed Sagar Canal water ?

(*b*) Will necessary steps be taken in future to redress the grievances of cultivators who suffered due to damage to crops on account of non-availability of water in time ?

# Page No.8



श्री **भोगीलाल पंड्या**—उम्मेदसागर नहर के पानी के डिस्ट्रिब्यूशन में कोई बदइन्तजामी नहीं है । इरिगेशन में कमी इसलिये हुई कि तालाब की कपेसिटी (Capacity) कम है। इस कमी को पूरा करने की योजना बनाई जा रही है ।

श्री **रघुराजसिंह**—क्या कोटा गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि सन् ४८ तक जिनको पानी दिया जाता था उनको पहले देकर यदि बाद में पानी की गुंजाइश हो तो दूसरों को दिया जावे ? क्या इस पर अमल नहीं होने के कारण ल ो पानी नहीं मिला ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा। यदि हुक्म के माफिक कार्यवाही नहीं हुई है तो भविष्य में इस कार्यवाही को पूरा किया जायगा और अपराधियों को दण्ड दिया जायगा ।

श्री **रघुराजसिंह**—क्या यह सही है कि केनाल इन्जीनियर को बिल्कुल अधिकार नहीं दिये गये हैं जिससे वे ठीक तरह से व्यवस्था नहीं कर सकते और चम्बल इंजीनियर को यह काम सौंपा गया है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—सरकार ने अपने अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया है। वहां पर जो असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्युटिव इंजीनियर, सुप्रिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं उनको अधिकार दिये गये हैं। अब आपको ऐसी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा ।

श्री **रघुराजसिंह**—क्या यह सही है कि केनाल इंजीनियर के पास कोई अधिकार नहीं हैं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—माननीय सदस्य पहले, सरकार ने जो अधिकार दिये हैं उनको देख लेगें तो फिर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ।

### प्रश्न संख्या ८५८

श्री **रघुराजसिंह**—Will the Minister of Irrigation be pleased to state :—

(*a*) How many tanks and Bunds needing repairs will be repaired this year in Kishanganj and Shahabad Tehsil of Kotah district?

(*b*) Will the Minister-in-Charge please place a list of such tanks and bunds on the table of the House. ?

श्री **भोगीलाल पंडया**—सन् १९५२-५३ में शाहबाद में ५ तालाब और किशनगंज में १५ तालाब की मरम्मत की गई है। ९ और तालाबों की मरम्मत कराने की आवश्यकता है, किशनगंज में ६ और शाहबाद में ३। इसको मरम्मत के लिये सन् ५३-५४ में लिया जायगा ।

(बी) सूची मेज पर रखदी गई है (कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री **रघुराजसिंह**—क्या इसकी कॉपी मुझे नहीं दी जायगी ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—आपको इसकी प्रतिलिपि इसलिये नहीं दी गई कि आपने यह लिखा था कि सूची मेज पर रखदी जावे ।

**श्री रघुराजसिंह**—नियम ऐसा है कि टेबल पर जो सूची रखी जाती है उसकी एक प्रति मेम्बर को देनी पड़ती है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—आपने टेबल पर रखने के लिये कहा था, इसलिये नहीं दी गई।

**श्री रघुराजसिंह**—क्या अब मुझे दी जायगी ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—आप अगर मांगेंगे तो जरूर दी जायगी।

**श्री रघुराजसिंह**—में उसे मांग रहा हूं।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—आपके पास पहुंच जायगी।

**प्रश्न संख्या ८५६**

**श्री खेतसिंह**—क्या सिचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) भाखडा-नांगल योजना द्वारा राजस्थान की कौन २ सी तहसीलों को सरसब्ज करने का प्रयत्न है ?

(ब) जैसलमेर के कौन २ से गांवों तक इस योजना द्वारा सिंचाई करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

(स) क्या राजस्थान सरकार इस ओर नहरें आदि बनाने में कुछ रकम लगाने के लिये सोच रही है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—भाखरा–नांगल योजना द्वारा बीकानेर डिविजन, भादरा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, नोहर तहसीलें सरसब्ज की जा सकेंगी।

(ब) जैसलमेर को इससे पानी नहीं मिल सकेगा।

(स) ऊपर लिखे कारणों से यह सवाल पैदा नहीं होता।

**श्री गुरूदयालसिंह सन्धु**—भाखरा-नांगल से कितनी एकड़ जमीन को पानी मिल सकेगा ?

**श्री अध्यक्ष**—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

**श्री गुरूदयाल सन्धु**—क्या मेरा यह प्रश्न रिलेवेन्ट नहीं है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—१ लाख २० हजार एकड़ जमीन को पानी मिल सकेगा।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ८६०

**श्री कंवरलाल जेलिया**—क्या दलित वर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान सरकार का भारत सरकार से अनुसूचित जन जातियों के कल्याण कार्य के लिये सन् ५२-५३ में कितनी रकम प्राप्त हुई ।

(२) सन् ५१-५२ में कितनी रकम प्राप्त हुई ?

(३) अनुसूचित जन जातियों का सुरक्षित क्षेत्र में (शिड्यूल ट्राइब्स क्षेत्र में) कौन २ सी तहसीलें पड़ती हैं ? यहां की जन जातियों की कुल आबादी कितनी है ?

(४) भारत सरकार व राजस्थान सरकार की संयुक्त सन् ५२-५३ की खर्च हुई रकम का औसत इस आबादी से कितना प्रति व्यक्ति खर्च हुआ व कुल कितनी रकम खर्च हुई ?

(५) राजस्थान में सन् ५२-५३ के बजट में पिछड़ी जातियों के कल्याण कार्य में कुल कितनी रकम खर्च हुई ? यह कुल आबादी पिछड़ी हुई जातियों पर प्रति व्यक्ति कितनी खर्च हुई ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—पिछड़ी जातियों की जन संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण सरकार को सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—इतना समय मिलने के बाद भी सूचना क्यों नहीं प्राप्त हो सकी ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—सूचना न तो प्राप्त हुई है और न आगे प्राप्त होने की संभावना है।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—इसका क्या कारण है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—सूचना इसलिये नहीं दी जा सकती है कि जो संख्या मांगी गई है वह सन् ५१ की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट में भी नहीं दी गई है।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—सरकार इसके लिये क्या सोच रही है, सरकार को आंकड़े तैयार करने होंगे ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—जो सूचना दी जा सकती थी वह मैं दे चुका हूं । समस्त पिछड़ी जातियों की संख्या नहीं दे सकता ।

प्रश्न संख्या ८६१

**श्री तेजपाल**—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान रेन्ट (मकान, दुकान आदि) कन्ट्रोल एक्ट किन किन स्थानों पर लागू किया जा चुका है ?

(२) क्या अन्य स्थानों पर इस नियम को लागू कराने की कोई व्यवस्था है ?

(३) यदि प्रत्येक कस्बे में नहीं तो क्या सरकार इस एक्ट को ३,००० की आबादी के प्रत्येक कस्बे में लागू करने के लिये विचार करेगी ?

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—उस शहर और कस्बों में जहां राजस्थान प्रेमिसेज् कंट्रोल ऑफ रैन्ट एक्ट, १९५० लागू किया गया है उसकी सूची टेबल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(२) नहीं।

यदि किसी स्थान की जनता को तकलीफ हो तो आवेदन पत्र देना चाहिये।

(३) सरकार के पास ऐसी कोई सूची नहीं है। जिससे ज्ञात हो कि किन कस्बों में मकानों की कमी है और मकान किराये पर नहीं मिलते।

(४) नहीं।

**प्रश्न संख्या ८४७**

**श्री अध्यक्ष—श्री** प्रतापसिंह। (अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या ८४८**

**श्री धर्मपाल**—माननीय मंत्रीजी के पास आंकड़े नहीं है इसलिये मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि प्रश्नकर्त्ता सोच समझ कर प्रश्न पूछें। मैंने यह कभी नहीं कहा कि हरिजनों की संख्या के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैंने कहा था कि समस्त पिछड़ी जातियों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष**—क्योंकि समय बाकी है इसलिये जो प्रश्न छूट गये हैं उनको दुबारा ले रहे हैं। कोई सदस्य अगर प्रश्न नहीं पूछना चाहता तो उनकी इच्छा है।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—एक प्रश्न जब आ चुका है तो उसका उत्तर देना ही चाहिये?

**श्री अध्यक्ष**—If Member concerned does not want to call his Question he can do so.

**प्रश्न संख्या ८५०**

**श्री प्रभुदयाल**—क्या हरिजन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) हरिजन विद्यार्थियों को जो वजीफे दिये जाते हैं उनके फार्म अप्रेल ५२ में भरे गये और फरवरी ५३ तक वजीफे क्यों नहीं मिले?

(२) क्या सरकार दूसरा कोई तरीका सोच रही है जिससे वजीफे जल्दी मिल सकें? अगर हां, तो क्या? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—वजीफे मिलने में देरी लगने का कारण है कि दरख्वास्तें लेने की ३०-७-५२ तक की अवधि थी और ७ हजार दरख्वास्तें आईं, उनकी जांच करवाकर सन् ५३ के मार्च तक वजीफे दिये गये।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—क्या मंत्रीजी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे समय पर विद्यार्थियों को वजीफा मिल सके?

# Page No.12



**श्री भोगीलाल पंड्या**—ऐसी व्यवस्था करने की हमारी तीव्र इच्छा है, लेकिन मैं विद्यार्थियों और उनकी सहायता करनेवाले महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वे छात्रवृत्ति की दरख्वास्तें देने की तारीख न बढवावें तो जरूर निश्चित अवधि में कार्यवाही की जायगी ।

**प्रश्न संख्या ८५८**

**श्री धर्मपाल**—क्या दलित वर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है और आज तक इस दिशा में कितनी प्रगति की है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—(१) आभूषण पहनने व जल लाने के सम्बन्ध में असुविधायें हटाने का जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है । पेशा, धन्धा और व्यापार तथा व्यवसाय इच्छानुसार करने की सुविधा प्रदान की गई है ।

कृषि भूमि का उचित भाग इन्हें वितरित किया गया है । चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ दी गई हैं। सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रक्खे गये हैं ।

विद्यार्थियों के लिये होस्टल खोले गये हैं । छात्रवृत्तियें स्वीकृत की गई हैं। सरकारी संस्थाओं में फीस माफ की गई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये मेडीकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थान सुरक्षित रक्खे गये हैं । Voluntary agencies को उनके खर्चे का अधिकांश भाग सहायता के रूप में दिया जाता है ।

(२) मौजूदा हालत को देखते हुए प्रगति सन्तोषजनक ही है । आशा है कि आने वाले ९ वर्षों में हरिजनों की और भी उन्नति होने की सम्भावना है । अतः अन्य शेष बातों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—सामाजिक विकास के लिये क्या किया जा रहा है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—इसके लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—क्या राजस्थान के शहरों में अभी भी प्याउओं पर नालियां लगी हुई हैं ?

**श्री भोगीलाल पंड्या (दलित उत्थान मंत्री)**—जी हां, सरकार ने प्रयत्न किया है कि कहीं भी नालियां नहीं लगी रहें। गत वर्ष इस ओर प्रयत्न किया गया था कि जयपुर में प्याउओं पर नालियां नहीं रहें किन्तु जयपुर शहर की प्याउओं पर अभी भी नालियां लगी हुई हैं। इस वर्ष फिर प्रयत्न किया जावेगा कि प्याउओं पर ये नालियां न रहें ।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स सरकार की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनको सहयोग देते हैं ?

**श्री भोगीलाल पंड्या (दलित उत्थान मंत्री)**—वे प्रायः हमको सहयोग देते हैं। किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्याउओं पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का नियन्त्रण नहीं है। ये तो व्यक्तिगत तरीके से बनाई हुई हैं। अतः इन पर से नालियों को समझा-बुझा कर ही हटाया जा सकता है।

Page No.13



**श्री कंवरलाल जेलिया**—डिस्ट्रिक्ट बोर्डस क्या प्याउओं के लिये जमीन देते वक्त ऐसी शर्तें नहीं रख सकते थे क्योंकि जगह तो सरकार की है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मंत्री)**—जहां कहीं ऐसी जगह देने का प्रश्न आवेगा तो सार्वजनिक मंत्री महोदय इसके लिये प्रयत्न करेंगे। पहले से जो जो जमीन देदी गई थीं और उन पर पक्की प्याउएं बनाली गई हैं तो उन पर से नालियां हटवाने के लिये कठिनाई जरूर आती है। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। मैं इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। इसके साथ ही साथ आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भी मुझे सहयोग दें।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट, श्री कपिलदेव।

**श्री खेतसिंह**—अध्यक्ष महोदय, २६ तारीख को मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि इस प्रश्न का संबंध वन विभाग से है अतः वन विभाग के मंत्रीजी इसका उत्तर देंगे। चूंकि वन विभाग के मंत्रीजी की आज टर्न है अतः क्या मेरे उस प्रश्न का उत्तर देंगे ?

**श्री अध्यक्ष**—He is not prepared today. It will come on his next turn.

**श्री खेतसिंह**— मेरे २७ तारीख के प्रश्न के मुतल्लिक क्या हो रहा है ?

**श्री अध्यक्ष**—Their answers will be laid on the able.

**श्री खेतसिंह**—आपने तो फरमाया था ....

**श्री अध्यक्ष**—Order ! It was so agreed.

## सदन की कार्यवाही स्थगित होने सम्बन्धी वाद-विवाद

**श्री जसवन्तसिंह**—माननीय अध्यक्ष, आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले में यह जानना चाहूंगा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि ३ अप्रेल को सेशन स्थगित हो रहा है और वापिस २० तारीख को मिलेगा। मुझे नहीं मालूम है कि यह कहां तक सही है ? क्या सरकार द्वारा इस संबंध में रोशनी डाली जायगी कि यह सदन किस तारीख को स्थगित हो रहा है और किस तारीख को मीट हो रहा है ?

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—सरकार इस बारे में विरोधी पक्ष के नेता से बात करेगी। यदि विरोधी पक्ष के नेता को यह स्वीकार हो कि छुट्टी हो तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। आप स्वीकार कर लीजिएगा और स्पीकर साहब अनाउन्स कर देंगे।

**श्री जसवन्तसिंह**—यह तो सरकार के डिस्क्रीशन की बात है। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है।

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—दो तारीख से राष्ट्रीय सप्ताह है, और आगे १८ और १९ अप्रेल को सेटरडे और सन्डे आ जाते हैं इसलिये मेरे ख्याल से २० अप्रेल को शुरू होना ही ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री जसवन्तसिंह**—हमें मन्जूर है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—विरोधी पक्ष का यह स्वीकार है अतः ये तारीखें रखली जांय।

श्री जसवन्तसिंह—यह हमें कन्वीनियेन्ट है। अतः तारीख मुकररर कर दें जांय।

श्री अध्यक्ष—When will we meet next.

श्री जसवन्तसिंह—On the 20th.?

श्री अध्यक्ष—Yes. I will announce when the House will be adjourned.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—थर्ड से रख दिया जाय या फोर्थ से। फरोम फोर्थ टु नाइन्टीन्थ।

श्री अध्यक्ष—Why not from third?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—तीन से ही कर दिया जाय। Third to nineteenth.

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—Now we come Legislative Business. We have been considering the Rajasthan Panchayat Bill and have considered upto Clause 23. Now we will take up Clause 24.

I take Clause 24 as moved. Amendment by Shri Gopi Lal Yadav.

(अनुपस्थित)

Shri Jawan Singh to move his amendment.

श्री जवानसिंह—[संशोधन इस प्रकार है:—The word "Primary" be substituted for the word "obligatory" in the marginal heading of the clause.]

माननीय अध्यक्ष, तारीख १९ को माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग के साथ इन संशोधनों के बारे में बातचीत हुई थी। मैंने इस संशोधन के विषय में भी निवेदन किया था। मेरा ख्याल है कि यह संशोधन अब तक माननीय मंत्री महोदय को सुविधाजनक प्रतीत हुआ होगा और मुझे आशा थी है कि वे इस संशोधन को मान लेंगे वरना इसके पश्चात में कुछ निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—No. You want to move it or not?

श्री जवानसिंह—I have already moved.

श्री अध्यक्ष—Either you have to make a speech or you explain?

**श्री जवानसिंह**—No, Sir. I have nothing to say except that I have already moved the motion that the word " primary " be substituted for the word "obligatory " in the marginal heading of the clause. I have nothing else to say.

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री**—अध्यक्ष महोदय, पंचायत बिल के क्लॉज २४ की सब-क्लॉज ८ में मेरा संशोधन यह है;

" Add the following words at the end of the sub-clause—

"And also to give contract for the removal of dead bodies."

इसमें मैंने यह निवेदन किया है कि जहां इस काम के करने की व्यवस्था की गई हो वहां यदि व्यवस्था में कहीं झगड़ा हो जावे तो कान्ट्राक्ट बेसिस पर यह काम सौंपा जाया करे।

राजस्थान में हरिजनों की संख्या शिड्यूल कास्टस आॅर्डर, १९५० के अनुसार १६ लाख की बताई जाती है, जो यह काम करते हैं। पर वास्तव में उनकी हालत बहुत ही खराब है। इस प्रश्न को लेकर उनके ऊपर गांवों में काफी अत्याचार किये जाते हैं और इस कारण आज उनकी संख्या कम होगई है। उनमें से बहुत से गांव वालों के अत्याचारों के कारण दूसरे प्रान्तों में चले गये हैं। गांव में जब भी कभी पशु मर जाते हैं तो सवर्ण लोग हरिजनों के एक खास भाग को मजबूर करते हैं कि तुम्हीं इस काम को पूरा करो। अगर वे इन्कार करते हैं कि हमारा काम नहीं तो इस पर वे झगड़ा करते हैं, मारपीट तक कर देते हैं और हरिजनों को बन्द भी कर दिया जाता है। उनसे कभी कभी यह कहा जाता है कि, इसके अलावा जो लोग यह काम करने को तैयार हैं, काम तुमसे नहीं दूसरी जाति वालों से कराया जावेगा। इस मजबूरी के कारण आज लगभग चार लाख आदमी दूसरे प्रान्तों में गये हैं और वहां जाकर अपना धंधा करते हैं। अगर गांव में यह समस्या हल हो जावे और मारपीट बन्द कर दी जावे तो वे वापिस आ सकते हैं।

महोदय, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर कहीं मृतक पशु उठवाने की समस्या हल नहीं हो और कहीं झगड़ा हो जावे तो उस हालत में उससे बचने के लिये कम से कम इतना और इस धारा में जोड़ दिया जावे कि "कहीं भी इस प्रकार के झगड़े हों तो वहां इस काम को ठेके पर दे दिया जावे।" इस संबंध में यह भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के झगड़े राजस्थान सरकार के सामने लाये गये और राजस्थान सरकार ने इस संबंध में एक सर्क्युलर निकाल कर राज्याधिकारियों को आदेश भी दिया था।

माननीय अध्यक्षजी, इस प्रकार से जैसा मैंने बतलाया कि जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको भी सहूलियत होगी। मान लीजिए एक ग्राम पंचायत है वह ५००) रु० में मृतक पशु उठाने का ठेका दे देती है तो वह ५००) रु० गावों की तरक्की के लिए लगाया जा सकता है। इस तरह जो सवर्ण जनता है उनको भी राहत मिलेगी, आपस के झगड़े खत्म होंगे और पंचायत के लिये रात दिन झगड़े निपटाने का झंझट भी नही रहेगा। प्रबन्ध की दृष्टि से अच्छा प्रबन्ध हो जावेगा और जनता को इसके लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। जहां कहीं जानवर मरा तो सीधे पंचायत में इत्तला कर दी और काम हो गया।

# Page No.16



[श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री]

महोदय, इसके साथ ही में इस ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के झगड़े और बेगार आज के वक्त भी राजस्थान के गांवों में हैं और हरिजन इससे परेशान हैं। एक तरफ तो उनसे कहा जाता है कि तुम साफ सुथरे रहो, तुम्हें मन्दिर में आने देंगे, तुम्हें प्रेम से गले लगावेंगे पर दूसरी ओर भारतीय संविधान की १९ वीं धारा के रहते हुए भी जिसमें स्वतन्त्र व्यापार व धंधा कमाने की छूट दी गई है उसके प्रतिकूल दबाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें यह काम करना पडेगा, नहीं करोगे तो गांव से बाहर निकाल देंगे। वे बिचारे मारे मारे इधर उधर फिरते हैं। कोई राहत उन्हें नहीं मिलती और यह भी सम्भव नहीं कि वे हर मामले के लिए सीधे सरकार को अप्रोच (approach) किया करें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां आप यह व्यवस्था कर रहे हैं, ग्राम पंचायतें बना रहे हैं, मरे जानवरों के स्थान की व्यवस्था कर रहे हैं वहां यह भी स्पष्ट कर दें कि इस काम को कौन करे, आदेश किसको दें। इसके लिए या तो पंचायत अपने नौकर रख ले दस-पांच, पन्द्रह जैसा कि उपयुक्त समझें, या ऐसा करे कि जहां इस प्रकार के झगड़े आदि हों वहां पर ठेके आदि के द्वारा इस काम को निपटा दिया जावे।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—माननीय अध्यक्षजी, मेरे साथी ने जो संशोधन रक्खा है उसके संबंध में दो शब्द समर्थन के लिए भी. . . .

**श्री अध्यक्ष**—It is very clear. It needs no elucidation.

**श्री खेतसिंह**—मेरा संशोधन इस प्रकार है:—"In sub-clause (10) of the clause delete the word 'primary'.

मैं इसको इसलिए रखना चाहता हूं कि अगर आप 'प्राइमरी' शब्द को रख लेते हैं तो पंचायतों की हद को बांध देते हैं और इससे यह साफ है कि पंचायतें केवल प्राइमरी स्कूलों के मेन्टीनेन्स को ही सम्भाल सकती हैं सेकेन्डरी स्कूलों को नहीं।

पर कहीं ऐसी पंचायतें भी हैं जैसे मारवाड में मैं बताऊं कि सिवाना और बालेसर पंचायतें हैं जो पांच-पांच हजार की आबादी की हैं वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी कायम नहीं हुआ, वे अपने यहां की सेकेन्डरी स्कूलों को अब भी मेन्टेन कर रहीं हैं।

तो इसलिए जब इस शब्द को रखते हैं तो ये पंचायतें इन सेकन्डरी स्कूलों को मेन्टेन नहीं कर सकेंगी। इसलिए इस शब्द को डिलीट करने से कोई हानि नहीं होगी और क्लॉज भी और सुन्दर और साफ बन जावेगा।

**कुंवर श्री तेजसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन इस क्लॉज २४ के सब-क्लॉज १३ में इस प्रकार है:—

'In line 2 substitute the words, 'village industries' for the word "industry".

[कुं० श्री तेजसिंह]

एक ग्राम पंचायत का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने यहां की इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन दे, उसकी तरक्की के लिए प्रयत्न करे। इन्डस्ट्री से ग्राम पंचायतों का कोई सीधा संबंध भी नहीं रहता। वे तो शहरों की चीजें हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं। अतः पंचायतों से यह उम्मीद करना कि इन्डस्ट्री को बढ़ा सकेंगी, ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा; पर ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन वे अवश्य दे सकती हैं। इसलिए उद्योग के स्थान पर ग्रामोद्योग शब्द जोड़ना ही उपयुक्त होगा।

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि:—क्लाज नम्बर २४ के सब-क्लाज १४ में लाइन २ में ये शब्द जोड़ दिये जावें, लाइन के अन्त में:—

"and relief to the affected"

हम देखते हैं कि जिस गांव में भी आग लगती है, गांव वाले उसे बुझाने में तो ऐसे ही सहायता देते हैं इसलिये यहां इसका विशेष उल्लेख करना कोई विशेष मतलब नहीं रखता। पर इसके लिए अब यह आशा करते हैं कि जिस पर आग लगने से असर पड़े और जिसका नुकसान हुआ है उसे आर्थिक सहायता दी जा सके और वह अपने नुकसान से बच सके। इसलिये ये शब्द जोड़ दिये जावें तो अधिक अच्छा होगा, यह मेरा विचार है।

एक संशोधन इस क्लॉज पर यह है कि सब-क्लॉज (२१) के आगे और एक नया क्लॉज २१ वां रखने के संबंध में मेरा प्रस्ताव यह है जो इस प्रकार है:—

"(21) Establishment of a grain fund for the cultivators and lending them seeds for sowing purposes on such conditions as the Panchayat may approve".

हम पंचायतें गांवों में स्थापित करने वाले हैं। इससे ग्रामीणों को सभी सुविधायें प्राप्त हों, ऐसी सभी आशा करते हैं। गांवों में किसान ज्यादा है और इसलिये पंचायतों का मतलब उन्हें अधिक से अधिक आराम पहुंचाना ही है। यह रोजमर्रा देखने में आता है कि उन्हें समय पर बीज नहीं मिलता और अगर मिल भी जाता है तो गांव के साहूकार को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और अगर बीज मिलता है तो सड़ा-गला। यह सब आज भी मिल रहा है, आगे भी मिल सकता है पर इसमें होता क्या है कि गांव के साहूकार किसान से ज्यादा ब्याज बाढी के रूप में लेते हैं और बीज भी सडा हुआ होने के कारण से आधा उगता है और आधा नहीं उगता है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि इस दिक्कत से किसान को बचाने के लिये ग्राम पंचायत के पास एक फंड कायम हो, अनाज भंडार हो, जिसमें से किसान को उचित बाढी पर अनाज मिल सके और जो अनाज मिले वह अच्छा मिले जिससे किसान फायदा उठा सके और उसका साहूकार द्वारा जो शोषण हो रहा है वह बन्द हो सके।

इसलिए यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत बिल में मेरा यह संशोधन बढ़ा दिया जावे। यह ऐसी चीज है जिससे किसान को ही लाभ होने वाला है।

मेरा आगे अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

'Add' the following Sub-clause at the end:—

"Preparing a list of children of compulsory age in any panchayat Circle where compulsory education is introduced,"

[ कुं. श्री तेजसिंह ]

इस बिल के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अधिकार पंचायत को दिया जा रहा है। हम जहां जहां निरक्षरता को मिटाना चाहते हैं और कहा जाता है कि प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य कर दी जावे। ऐसा होने पर पंचायत को यह अधिकार भी देना चाहिये कि वह एक लिस्ट मेन्टेन करे जिससे सबको पढ़ाई का अवसर मिल सके। जिन बच्चों की उम्र पढ़ाई के लायक हो उन सब को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जावे। इससे गांवों में जो निरक्षरता है वह जल्दी से जल्दी मिट जावेगी।

यह संशोधन इस प्रकार है :—

Add the following sub-clause 23.—

"to protect every monument or place or object of artistic or historic interest of the village importance, spoilation, disfigurement, destruction or removal, as the case may be,"

आज हम देखते हैं कि गांवों में अज्ञानता के कारण समझिये या और किसी कारण समझिये आज गांवों में जो पुरानी कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखने वाली चीजें, इमारतें, चबूतरे, देवरे आदि हैं जो गांव वाले उसका महत्व नहीं समझते मिटते जा रहे हैं। हमारे इतिहास की ये महत्व की चीजें न मिटने पावें और गांवों की जो पुरानी चीजें हैं उनकी रक्षा हो सके इसकी जिम्मेदारी भी पंचायतों पर डाल दें तो अधिक अच्छा होगा यही मेरे इस संशोधन का आशय है।

इसी क्लॉज पर मेरा आखिरी संशोधन यह है :—

As Sub-clause (24) add the following: "The organisation and celebrations of Public festivals."

पंचायतों का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वे मिलकर पब्लिक फेस्टिवल्स मनावें, उसके लिए कोई कार्य-क्रम नियत करें, इससे वे जनता में मिलकर जनता से ज्यादा से ज्यादा संपर्क बढ़ा सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि पब्लिक फेस्टिवल्स गांवों की पंचायतों द्वारा सामुहिक रूप से मनाये जाने चाहिये।

**श्री रामकरण जोशी**—माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख १६ को हम सब लोगों ने मिलकर तय किया था और एक नतीजे पर पहुंचे थे कि जो आवश्यक संशोधन हों और जिनसे पंचायतों के काम में मदद मिलती हो उनको रख लिया जाय और जो अनावश्यक हों उनको वापिस ले लिया जाय। श्री जवान सिंहजी ने इस बात को महसूस किया और अपनी भावना प्रगट की। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जो तय किया था कि धारा २४ में "ऑब्लिगेटरी" शब्द की जगह "प्राइमरी" शब्द रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह बात तय हुई थी कि "ऑब्लिगेटरी" को हटा कर "मोरल ड्यूटीज" रखी जायं क्योंकि "ऑब्लिगेटरी" शब्द "प्राइमरी" का सेन्स (sense) नहीं रखता। प्राइमरी शब्द को जो हटाने का सुझाव दिया गया है और कहा गया है कि इससे सेकन्डरी एज्युकेशन में पंचायतें दखल नहीं कर सकेंगी इस संबंध में मेरा निवेदन है कि अभी तक हमारे गांवों में प्राइमरी एज्युकेशन का विस्तार ही नहीं हुआ है। ऐसी हालत में सेकन्डरी एज्युकेशन का वहां होना नामुमकिन सी बात है।

[श्री रामकरण जोशी]

इसके अलावा भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राइमरी एज्युकेशन के विस्तार के लिये कुछ लाख रुपये पंचायतों द्वारा खर्च किये जाने को मन्जूर किये हैं, कुछ ग्रान्ट दी है। उनसे पंचायतें फायदा उठाकर अपने प्रान्त को फायदा पहुंचा सकती हैं। इसलिये "प्राइमरी" शब्द हटा देना वाजिब नहीं मालूम पड़ता इसलिए इस शब्द को रहने देना चाहिये। पहले हम प्राइमरी एज्युकेशन कायम कर लें उसके बाद आगे की बात सोची जायगी।

मुर्दा मवेशियों को उठाने के बारे में जो कुछ कहा गया है यदि वैसा किया गया तो देहात की जनता में ( chaos ) पैदा हो जायगा इस वास्ते मुर्दा मवेशियों को उठाने वाले आदमी बाहर से नहीं आयेंगे, ठेकेदार बाहर से जरूर चला आयेगा व मिडिल मेन की तरह अपना कमीशन ले लेगा और मुर्दे मवेशियों को उठाने का काम तो वे ही करते रहेंगे जो बरसों से करते आ रहे हैं। मुर्दा मवेशियों को उठाने के लिए बाहर से यदि ठेकेदार ८–८ आदमियों को वहां रखेगा तो इतनी आमदनी तो उससे नहीं होगी जिससे कि वह ठेकेदार उन आठ आठ आदमियों के भरण पोषण के लिए पूरी तनख्वाह दे सके और यदि रखता भी है तो यह देहात की अर्थ-व्यवस्था से मेल खाने वाली चीज नहीं है। ठेके से आमदनी बड़े शहरों में हो सकती है, कस्बों में हो सकती है और कस्बों और शहरों में ठेके चल सकते हैं किन्तु देहातों में ये कदापि नहीं चल सकते। इसमें यह जरूर है कि कोई किसी की मरजी के खिलाफ़ जबरदस्ती मुर्दे पशु उठाने के लिए किसी को कह नहीं सकेगा। अगर कोई किसी से जबरदस्ती करवाना चाहेगा तो उसमें पंचायतें दखल करेंगी। इस प्रकार यदि ठेके से काम होने लग जायगा तो सारी देहात की अर्थ-व्यवस्था को धक्का लगने जैसी बात है। इस तरह यह सवाल हवा में ही लटका रखने वाला सवाल होगा। हम लोग मिडिल मेन को पसन्द नहीं करते, यह चीज गलत है।

विलेज इन्डस्ट्री (Village Industry) के बारे में जो कहा गया कि विलेज इन्डस्ट्री को मदद कर सकते हैं; इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता विलेज इन्डस्ट्री को मदद करने का काम पंचायतें कर सकती हैं उसके अलावा जयपुर के कई गांवों में बड़ी २ फैक्ट्रियां भी हैं, वे भी उन पंचायतों के तहत आनी चाहिये विलेज इन्डस्ट्री भी इसमें शामिल है। इस प्रकार विलेज इन्डस्ट्री जोड़ देने से मतलब ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता। इसलिये इन्डस्ट्री ही रखना अच्छा है।

आग लग जाने पर यह कहा गया कि पंचायतें उसका मुआवजा दें। इसके लिये मेरा निवेदन है कि सरकार ने इसके लिये फंड नियुक्त कर रखा है, आग लग जाती है तो वहां मदद मिल जाती है। पंचायतों के जरिये कम्पेन्सेंट करना नामुमकिन है। यदि पंचायतें कम्पेन्सेट करेंगी तो उनका सारा कोष, जो अन्य कामों के लिये व्यय होना चाहिये, इन्ही में लग जायगा इस तरह से करना पंचायतों के फंड के ऊपर एक बड़ा भारी धक्का है। सरकार इस काम के लिए समर्थ है इसलिये यह भार पंचायतों के ऊपर नहीं डालना चाहिये।

पुरानी इमारतों की रक्षा का जहां तक सवाल है इसके लिए अलग कानून है सरकार यदि यह काम पंचायतों को सौंपना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पंचायत के कानून के साथ इसको नहीं मिलाया जाना चाहिये।

# Page No.20



[श्री रामकरण जोशी]

बीज को बांटने के लिए कोआॅपरेटिव महकमा है और कोआॅपरेटिव कानून है। अगर वे पंचायतों के साथ मेल बैठकर बीजों का बटवारा करना चाहें तो कर सकते हैं। किन्तु पंचायतों का ताल्लुक ज्यादातर गांवों की बातों से, उसके इन्तज़ाम से होता है। मेरा निवेदन है कि ये सारे के सारे अमेन्डमेन्ट निरर्थक हैं क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं, माननीय सदस्यों से १६ तारीख की याद दिलाकर कहना चाहूंगा कि वे अपने अपने संशोधन वापिस लेलें।

**श्री अध्यक्ष**—Now I put the Question. The question is that the amendment No. 58 by Shri Jaswantsingh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is defeated.

(विराम)

The question is that the amendment of Shri Hari Shanker be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is defeated.

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री**—मैंने जो हरिजनों के मुतल्लिक बातें कहीं उनको साफ नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष**—Order! order!! The Question is that amendment No. 59 of Shri Khet Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The Amendment is defeated.

(विराम)

The Question is that amendments No. 153, 154, 155 and 156 of Shri T j Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The Amendments are defeated.

(विराम)

**श्री अध्यक्ष**—The Question is that clause 24 stand part of the bill.

(अस्वीकृत)

Clause 24 is added to the bill.

(विराम)

Page No.21



खण्ड २५

श्री अध्यक्ष—Clause 25, श्री गोपीलाल यादव।

श्री जवानसिंह— (अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, in the informal discussions that we had on the last occassion some changes were made in this clause and the Hon'ble Minister Incharge had agreed to those changes. Are we considering the clause as it is or the amendments will be taken as accepted.

श्री अध्यक्ष—If he has accepted any change, he will accept it today also.

श्री हरिकृष्ण व्यास—At what stage ?

श्री अध्यक्ष—Now.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो अपने संशोधन दिये थे उसके बाद में हम मिले थे। जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिये हैं उन्हें सदन के सामने पेश करदें ताकि हमें उन पर बोलने की जरूरत महसूस नहीं हो।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—धारा २५ पर श्री जवानसिंहजी और श्री गोपीलाल यादव के जो संशोधन थे वे नामन्जूर किये गये थे। एक नई उप-धारा (१८) उसमें जोडी जायगी "control of traffic on the public streets and roads." (१७) के बाद में (१८) उपधारा जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं। एक (१९) उप-धारा जोड़ देने में भी आपत्ति नहीं होगी और वह यह है, "Location of wine shops and slaughter houses." यह (१९) सब क्लॉज भी उसमें जोड़ा जा सकता है और इनके अलावा सब संशोधन वापिस ले लिये गये थे उस दिन।

श्री अध्यक्ष—(श्री जवानसिंह की ओर संकेत करके) You agree ?

श्री जवानसिंह—I agree to the latter one. इसमें मैंने २ संशोधन पेश किये थे। पहला संशोधन था,

"The word 'other' be substituted for the word 'discretionery' in the marginal heading of the clause."

क्योंकि इसके पहले क्लाज २४ में वैसा ही रखा गया इसलिये अब मैं इस संशोधन को सदन के सामने पेश नहीं करना चाहता हूं।

दूसरा संशोधन चूंकि मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है इसलिये इसके मुताल्लिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**—तो स्थिति यह है कि धारा २५ की उप-धारा (१७) के बाद में उप-धारा (१८) और (१९) इस प्रकार जोड़ी जाती है :—"(18) the control of traffic on the public streets and roads." यह (१७) के बाद (१८) रहेगी और "(19) the location of wine shops and slaughter houses." यह १९ वीं रहेगी। Now I would like to . . . .

**श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)**—मेरा एक संशोधन और है इसमें।

**श्री अध्यक्ष**—There is no other amendment I think.

**श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)**—है साहब इसमें। एक पार्ट मन्जूर कर लिया गया है लेकिन दूसरा पार्ट मन्जूर नहीं किया गया है और मैं उस मीटिंग में भी नहीं था।

**श्री अध्यक्ष**—You want to press your amendment about the establishment of burial places ? This is the only amendment.

**श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)**—मेरा जो दूसरा पार्ट रह गया है वह मैं प्रेस करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—It is only about the sub-clause which is named as (19).

**श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)**—जो मन्जूर कर लिया गया है उसका कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**—It is the only amendment, about establishment of burial places.

**श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय साथी का ध्यान धारा २४ की उप-धारा (८) की तरफ ले जाना चाहता हूं। उनको मालूम होगा कि वहां पर इसकी व्यवस्था की गई है।

**श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)**—मैं अपना यह संशोधन जो क्लाज २५ की सब क्लाज (१९) में आगया है वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—You have not moved it.

(विराम)

So we can take Clause 25 as amended.

(विराम)

The question is that Clause 25 as amended, with the additions of sub-clauses (18) and (19) be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 25 as amended is added to the Bill. Then we come to Clause No. 26.

खण्ड २६

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—क्लाज २६ में जो टाइप की गल्ती थी W के बजाय Y छप गया है, वह दुरुस्त हो जाना चाहिये। इसके संबंध में श्री खेतसिंह जी और भैरूसिंहजी के एमेन्डमेन्ट्स थे।

एक नया अमेन्डमेन्ट जो उस दिन नहीं आया था उसके बारे में यह (श्री विशम्भर नाथ जोशी की ओर संकेत करते हुए) बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—(श्री विशम्भरनाथ जोशी के बोलने के लिए खड़े होने पर)—

You want to move your amendment

श्री विशम्भरनाथ जोशी—No, Sir.

Shri H. K. Vyas. What have you to say? Do you not want to move.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to move Sir.

श्री अध्यक्ष—Yes, begin.

श्री हरिकृष्ण व्यास—There are two parts of my amendment, Sir. One I do not want to move and the other I want to move. The amendment which I want to move relates to Sub-clause (2).

श्री अध्यक्ष—First you don't want to move ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, this has been accepted that the language will be corrected. This has been accepted by the Mininster In-Charge.

श्री अध्यक्ष—(Addressing Shri Ram Karan Joshi) Do you accept it ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—The language has been corrected accordingly. I do not know what the position is now. If he accepts what he had already agreed, then I do not want to move; otherwise I will move.

श्री अध्यक्ष—We shall take it as moved. You may explain it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, उप-खण्ड (२) के कन्स्ट्रक्शन की ओर गौर करें तो उसमें जो यह सेन्टेन्स है उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है :—

"A Panchayat if it so desires also as prescribed."

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, इसके ऊपर एक अमेन्डमेन्ट नया आया है जो अमेन्डमेन्ट उस दिन मिले थे उस दिन नहीं था। उस पर विचार करने के

# Page No.24



[श्री रामकरण जोशी]

बाद बताऊंगा। उसमें एक नया एमेन्डमेन्ट आया है इसलिये पहले उस पर बात हो जानी चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष**—(श्री हरिकृष्ण व्यास की ओर संकेत करते हुए)—

You have a right to speak first. If you yield to other amendments.

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—No, I do not think.

**श्री अध्यक्ष**—If you want to hear him first, amendment No. 173, and after that if you want. . . . . . . .

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—Then shall I get my opportunity?

**श्री अध्यक्ष**—Yes.

**श्री विशम्भरनाथ जोशी**—अध्यक्ष महोदय, खण्ड २६ के उप-खण्ड (२) में मैंने संशोधन पेश करने की अनुमति चाही थी, और मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष यह संशोधन पेश करना चाहता हूं।

इसकी दूसरी लाइन में शब्द "शैल" के बजाय "मे" जोड़ दिया जाय।

I read it.—

"A Panchayat, if it so desires, also as prescribed, and on being allowed 10% of the realisation as collection charges shall be entrusted. . ."

Here it should read "may be entrusted by the State Government with the duty and responsibility of the collection of land revenue and any other taxes, or dues payable......etc. "

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—What does the Hon'ble Member want to say exactly, Sir.

**श्री विशम्भरनाथ जोशी**—In place of the word "shall" the word "may" be substituted in line 2.

इस संशोधन की इस उप-धारा में इसलिए आवश्यकता है कि यदि इस उप-धारा में मौजूदा पोर्शन (portion) रहता है तो किसी भी पंचायत के द्वारा यह मांग करने पर कि उसे रेवेन्यू कलेक्शन करने की इजाजत दी जाय, तो स्टेट कोई भी डिस्क्रीशन(discretion)नहीं रहेगा,और लाजमी तौर पर देना पड़ेगा। इसमें "शैल"शब्द मैन्डेटरी (mandatory) है, इसलिए अब्लीगेट्री हो जाता है स्टेट गवर्नमेन्ट को कि रेवेन्यु कलेक्शन का पॉवर दे। मैं यह समझता हूं कि यह ग्रामेटिकल मिस्टेक (grammatical mistake) है

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

क्योंकि फ्रेमर्स की यह इच्छा नहीं थी कि स्टेट गवर्नमेन्ट के पास कोई डिस्क्रीशन छोड़ा ही नहीं जाय। अगर रेवेन्यु कलेक्शन करने के पॉवर की मांग कोई पंचायत करती है तो यह देखना पड़ेगा कि वह पंचायत सुचारु रूप से चल रही है, इसके काम की एफीशियेन्सी (efficiency) क्या है, उसकी डिमान्ड को मीट किया जा सकता है या नहीं, वह रेवेन्यु कलेक्शन जैसे काम्प्लीकेटेड(complicated)काम को कर सकेगी जिससे कि यह उम्मीद की जावे कि रेवेन्यु कलेक्शन के काम को कर सकें। यह ऐसा काम है जो यदि ऐसी एजेन्सी को दे दिया जावे या दे दिया जाता है जो उसको कर नहीं सके तो रेवेन्यु की सारी आमदनी रुक जावेगी और गवर्नमेन्ट का खर्चा चलना मुश्किल हो जावेगा। इससे बहुत काम्पलीकेशन हो जावेगा यह कांट्राक्ट है इसलिये इसके लिये यह जरूरी है कि वह दूसरी पार्टी से एग्रीमेंट करे। स्टेट गवर्नमेंट को कोई हक नहीं रहता। फ्रेमर आफ ला(framer of Law)की यह मंशा नहीं था और न उनका यह आइडिया (idea) था, जिस समय यह कानून फ्रेम किया गया था। इसलिये मैं यह प्रोपोज ( propose ) करता हूं कि 'शेल' शब्द के बजाय शब्द 'मे' रख दिया जावे और यदि मेरा यह अमेन्डमेन्ट मान लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि सारा मामला हल हो जावेगा।

**श्री एच. के. व्यास**–माननीय अध्यक्ष, जहां तक मेरे अमेन्डमेन्ट का संबन्ध है मैं यह कहूंगा कि अभी जो अमेन्डमेन्ट रक्खा गया है कि "शेल" के बजाय 'मे' कर दिया जाय, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पेज २ पर धारा २६ के बारे में फ्रेमर्स ऑफ लॉ (Framers of law) की मंशा क्या है उसके बारे में मैं तो कहूंगा कि यह साफ है सिलेक्ट कमेटी की मंशा भी साफ है :

"In the opinion of the Committee the question of entrusting collection of land revenue to the Panchayats and the percentage of the Panchayat's remuneration by way of collection charges should not be left to be decided by virtue of a contract to be entered into by the Panchayat with the Government and that " और मैं यह जोड़ देना चाहता हूं : " in the event of any particular Panchayat being willing to undertake the realisation of land revenue, the Government should have no discretion in the matter but must entrust this work to the Panchayat. " सिलेक्ट कमेटी की मंशा जो थी वह बिल्कुल साफ है। लेकिन जब पंचायत कलेक्शन का काम करने के लिये तैयार हो तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है और यह लाजमी होना चाहिये।

यह बिल सिलेक्ट कमेटी में कंसीडर हो जाने के बावजूद भी अब यह नया एमेन्डमेन्ट पेश किया जा रहा है कि फ्रेमर्स ऑफ लॉ की मंशा यह नहीं थी। उन की मंशा तो यहां दर्ज है। इसलिये अब यह स्टेज नहीं है कि चुपके चुपके एमेन्डमेन्ट पास किया जाय। जहां तक मेरे एमेन्डमेन्ट का ताल्लुक है आप उप-धारा (२) को पढ़ें तो आपको साफ मालूम होगा कि :

"A Panchayat, if it so desires, also as prescribed and,......"
तो शुरु का सेन्टेन्स इस प्रकार है :—

"A Panchayat, if it so desires, also as prescribed and on being...s" so desire तक तो ठीक है लेकिन "also as prescribed" पंचायत की इच्छा जाहिर करने के बारे में है मैं समझता हूं

[श्री एच. के. व्यास]

कि औरिजनल ड्राफ्ट (original draft) में भी ये शब्द हैं। मैं समझता हूं कि बगैर सोचे समझ वैसे के वैसे यहां रखे गये। उस दिन जब इस सम्बन्ध में बहस हुई थी उस समय यह हटा दिया जावेगा और उसी तरह रीड्राफ्ट (redraft) करने का तय किया "The Panchayat if it so desires and if allowed 10% of the realisation as collection charges shall, as prescribed, be entrusted by the State Government with the duty and responsibility............." यदि इस प्रकार से किया गया तो शब्द एज प्रेस्क्राइब्ड (as prescribed) का क्या मतलब होता है। मुझे नहीं मालूम यदि इसको मंजूर करलें तो कोई दिक्कत नजर नहीं आवेगी। लेकिन नये एमेन्डमेन्ट में 'मे' शब्द रखने का जो संशोधन है उसको मैं ऑब्जेक्ट करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि इस पर राय ली जाय। एमेन्डमेन्ट मेरे पास तो नहीं आया। No notice was given. The new amendment was received only today.

**श्री बी. एन. जोशी**—On a point of personal explanation, Sir, may I submit that I did give due notice? I think I gave 5 days' notice as required under the Rules of Business.

**श्री एच. के. व्यास**—हमारे पास तो नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष**—This has been circulated.

**श्री एच. के. व्यास**—Then I object to it not on technical ground but on substantial ground.

**श्री अध्यक्ष**—Reply.

(श्री बी. एन. जोशी खड़े हुए।)

**श्री अध्यक्ष**—I do not want your reply. I want the Minister's reply.

**श्री रामकरण जोशी**—माननीय अध्यक्ष, यह ठीक है कि जब हम पहले बैठे थे उस समय इस प्रकार तय किया गया था।

"The Panchayat if it so desires shall, as prescribed and on being allowed 10% of the realisation as collection charges be entrusted........" and so on, यह बना लिया था। इसके बाद मेरे साथी का कोई एतराज नहीं होगा। सवाल यह है कि आया हमारे सामने जो नया एमेन्डमेन्ट आया है उसको मंजूर किया जाए या नहीं। यह इस बात को जाहिर करता है कि "shall" शब्द ठीक नहीं है इसलिए इसकी जगह "मे" ज्यादा उपयुक्त लगता है क्योंकि इसमें आगे लिखा है "ऑन बीईंग एलाउड (on being allowed)" इसका मतलब यह है कि एलाउ करने वाले दूसरे हैं तो फिर "shall" का कोई मायना नहीं रहता। इसके अलावा यह बात भी हमारे

[श्री रामकरण जोशी]
सामने है कि यह कॉन्ट्रेक्ट है। आप जिस पार्टी को चाहें उसको दें "If it so desires" (अगर उसकी इच्छा हो); इसलिये "मे" का जो प्रोपोजल रखा गया है वह उचित है।

मैं समझता हूं कि यहां Panchayat, if it so desires" के आगे जैसा कि श्री बी. एन. जोशी ने माना है कि 'शैल' की बजाय 'मे' लगा दिया जाय इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसलिये मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री एच. के. व्यास—क्या सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को माननीय मंत्री ने साइन (sign) किया? Does he agree with the formula of the Select Committee.

श्री रामकरण जोशी—बिल्कुल ठीक है। वह मुझे मंजूर था। यहां भी कई बातें मंजूर की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—So it is accepted? His amendment about correction of the language? The deletion of "also as prescribed and"?

श्री रामकरण जोशी--Not at all. Not that.

श्री अध्यक्ष—Then do you agree to Amendment No. 173?

श्री रामकरण जोशी—In place of the word 'shall' the word 'may' be substituted; that is all.

श्री एच. के. व्यास-Now the clause has been re-drafted. I do not want to press my amendment, part (2).

श्री अध्यक्ष—"May" instead of "shall"

श्री एच. के. व्यास—Not "May". Regarding the use of the words "as prescribed" after the words "as collection charges shall........"

श्री रामकरण जोशी—The clause as re-drafted stands as under:—

"A Panchayat, if it so desires, also as prescribed and on being allowed 10% of the realisation as collection charges may be entrusted by the State Government with the duty and responsibility of the collection of land revenue and any other taxes or dues payable, etc. etc..........."

This is the re-drafted clause.

श्री अध्यक्ष—So you do not want to press your amendment.

श्री एच. के. व्यास—No, no. Then I want, Sir.

# Page No.28



श्री अध्यक्ष—Now the question is that the amendment No. 61, part (2), to clause 26 (2) by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is defeated.

(विराम)

Now the question is that Amendment No. 92 of Shri Bhairon Singh (16) be accepted.

(स्वीकृत)

The Amendment 92 is accepted.

(विराम)

Now the question is that Amendment No 173 of Shri B. N. Joshi be accepted.

(स्वीकृत)

Amendment No 173 is accepted.

(विराम)

Now the question is that Clause 26, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 26, as accepted, is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to clause 27

श्री एच. के. व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लाज २६ को एक दफा और पढ़ कर सुना दें तो ठीक होगा। आपने "also" पढ़ा था और माननीय मंत्री ने 'shall" पढ़ा था।

श्री रामकरण जोशी—मैं पढ़ दूं।

श्री एच. के. व्यास—माननीय अध्यक्ष पढ़ेंगे, वही आथोरिटेटिव होगा।

श्री अध्यक्ष—Now it has been amended. If there is any doubt you can consult me in the Chamber.

श्री एच. के. व्यास—But, Sir, what you read was different from what the Hon'ble Minister read it. There is a difference in both the readings.

श्री अध्यक्ष—The stage has now passed Clause 27.

(चुप्पी)

श्री रामकरण जोशी—उस दिन तीन साथी १६ तारीख की मीटिंग में नहीं आये थे, उनमें कुँवर तेज सिंह जी भी थे। हमने उस वक्त इस पर विचार करते हुए इसे नामंजूर किया था, जुर्माने की रकम को नामंजूर किया था। जवानसिंहजी के संशोधनों को भी नामंजूर किया था। श्री तेजसिंहजी वहां नहीं थे पर इनका भी तहसील पंचायत के सिलसिले में जो जो अमेन्डमेन्ट था उसको भी हमने नामंजूर किया था।

Page No.29



श्री अध्यक्ष—I do not follow you. You proceed according to the serial number of amendments.

श्री रामकरण जोशी—अमेंडमेंट सं० ५ खेतसिंह जी का नामंजूर किया गया था।

श्री अध्यक्ष—Amendment No 5 is of Shri Shambhu Singhji.

श्री रामकरण जोशी—अध्यक्ष महोदय, यही ठीक रहेगा कि जो संशोधन स्वीकार किये गये वही सुनादूं।

श्री अध्यक्ष—जो संशोधन मंजूर किये गये वही बता दीजिये।

श्री रामकरण जोशी—श्री खेतसिंह जी का सब क्लाज (५) के सम्बन्ध में ६२ बी संशोधन जो तहसील पंचायत की अपील सुनने के बाबत है, उसे मंजूर किया गया था।

श्री खेतसिंह—That amendment is No. 63 and not 62 B.

श्री रामकरण जोशी—तहसील पंचायत ही रखना है वही मंजूर किया गया था और कोई मंजूर नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—He has to move.

श्री रामकरण जोशी—और सब नामंजूर किये गये थे।

श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, धारा २७ पर मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

"In sub-clause (1), line 4, the word "fifteen" be deleted and the word "ten should remain as in the original Bill."

माननीय अध्यक्ष, इस वक्त जो पंचायतें कायम हैं और उनका अब तक जो काम और रवैया रहा है उससे भली भांति विदित है कि वहां काम एफिशियेन्सी से नहीं होता। इसका कारण यह है कि पंचायतों में पंच अधिकांश अशिक्षित हैं और अपने अधिकारों को भली-भांति एक्सरसाइज नहीं कर पाते इसलिये मेरा निवेदन है कि बजाय १५) रु० के औरिजिनल बिल में जो १०) रु० का अधिकार दिया है वही रखा जावे। क्योंकि यह देखा गया है कि पंचायतें जुर्माने के द्वारा अधिक पैसे इकट्ठा करना ही अपना कार्य समझती हैं और किसी भी अपराध की गुरुता व हल्केपन को न देखकर वह यह देखती हैं कि पैसे ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे किये जावें। इसलिये १५) रुपये का अधिकार न देकर १०) रुपये का ही अधिकार दें। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार करलें।

श्री अखानसिंह—माननीय अध्यक्ष, उस दिन १६ मार्च की मीटिंग में .....

श्री अध्यक्ष—You do not want to move your amendment?

श्री अखानसिंह—I want, Sir.

Page No.30



**श्री अध्यक्ष**--Then you move it. I do not want to take notice of what happened on the 16th. When he does not accept it, you have a right to move.

**श्री जवानसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन इस क्लाज म इस प्रकार है :—

The Clause reads as under :—

"Any person who disobeys a general regulation or a special order under the foregoing provisions of this Chapter may be punished by the Panchayat with fine which may extend to fifteen rupees, and if the disobedience is a continuing one, with a further fine which may extend to one rupee for every day after the first during which the disobedience continues."

I have sought to delete the words beginning from "and if the disobedience .."and ending in "continues."

माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन से मेरा आशय यह है कि जैसी कि हमारे गांवों की हालत है और वहां की जनता की आर्थिक हालत है, उसकी ओर ध्यान दिलाते हुए में यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में रोजी बहुत कम होने के कारण लोग वहां पर बहुत गरीब हैं और ऐसी हालत में उन पर किसी वक्त जुर्माना कर दिया गया और मान लीजिये पहली वक्त में एक रुपया दो रुपया हुआ हो और किसी वजह से उस हुक्म की तामील नहीं होती है तो यह माना जायगा कि जब तक उस हुक्म की तामील नहीं हो जाय और जो जुर्माना हुआ है उसको अदा नहीं किया जावे तो रोजाना एक रुपया जुर्माना होता रहेगा।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन किसानों और इस गरीब जनता का खयाल रखते हुए प्रतिदिन का एक रुपया जुर्माना क्या ठीक मालूम होगा? इसलिए म निवेदन करना चाहता हूं कि यह जुर्माना बिल्कुल नावाजिब है और जनता की हालत देखते हुए इसे हर्गिज वसूल नहीं किया जा सकता। हमारी तहसील पंचायतों का जो प्रोविजन रखा गया है उस सम्बन्ध में यह अर्ज करूं कि निर्वाचन हमारी पंचायतों का चुनाव होने के बाद पता नहीं महीने दो महीने या छै महीने बाद होगा, तो उसके दरमियान में यदि किसी व्यक्ति पर जुर्माना हुआ है तो क्या वह जुर्माना तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसकी अपील तहसील पंचायत के सामने पेश नहीं हो जायगी? क्या उस व्यक्ति की आर्थिक हैसियत ऐसी होगी कि वह जुर्माना अदा करता जायगा, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को मंजूर किया जावे।

मेरा दूसरा संशोधन सब क्लाज (५) में जो है वह इस प्रकार है :—

"That the words 'S.D.O. or Munsiff, as the case may be' be substituted of the words 'Tehsil Panchayat'.

यह संशोधन मैंने इस गरज से रखा है कि मेरी मान्यता है कि तहसील पंचायतों का होना अनावश्यक है और खासकर इसलिए कि जब हमने एक लोकल बॉडी को चुनी हुई ग्राम पंचायत के रूप में

# Page No.31



[श्री जवानसिंह]

रखा है और अब उसकी अपील सुनने का सवाल पैदा होता है तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कानूनी बातें यदि एक इलैक्टेड बॉडी के हाथ में हैं तो कुछ विशेष तौर से कानून की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के हाथ में उनके फैसले की अपीलें देनी चाहियें क्योंकि वे कानूनी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं और जिससे वे सही फैसले दे सकें। इसलिए मैं निवेदन करना चहता हूं कि यदि तहसील पंचायतों के बजाय ग्राम पंचायतों की दीवानी अपीलें मुन्सिफ के हाथ में दें और फौजदारी मामलों की अपीलें सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट के या और किसी मैजिस्ट्रेट के हाथ में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये लोग कानून की जानकारी रखते हैं, इसलिए फैसला ठीक तरह से दे सकेंगे। यदि तहसील पंचायतों को ही यह अधिकार दिया गया तो एक मुश्किल यह आयगी कि ग्राम पंचायतों के चुनाव पहले होंगे और तहसील पंचायतों के चुनाव उनके काफी दिन बाद में होंगे। ऐसी हालत में दर्मियानी पीरियड ( period ) में इन अपीलों का क्या होगा? इस पीरियड में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इन पंचायतों की अपीलें सुनेगा। ऐसे अनिश्चित काल के लिये किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं रहनी चाहिये। कानूनी मामलों के लिये कोई ऐसी बॉडी रहनी चाहिये जो परमानेन्ट हो ताकि अनिश्चित काल के लिये मुंह नहीं तकना पड़े। यदि ग्राम पंचायतों की अपीलें सुनने का अधिकार मुन्सिफ या एस. डी. ओ. को देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वे हमेशा कुर्सी पर आसीन रहते हैं और जल्दी काम निपटा सकते हैं और यदि तहसील पंचायतों के पास ही यह अधिकार रखेंगे तो जनता को जो राहत आप देना चाहते हैं वह नहीं मिलेगी, उसके बीच में रोडे अटकते रहेंगे और रास्ता साफ नहीं मिलेगा। इसलिये मैं पूर्ण आग्रह से निवेदन करूंगा कि आप इस संशोधन को मंजूर करलें ताकि इससे लोगों को सहूलियत हो और इन्साफ मिल सके। सब क्लाज (५) में मेरा जो संशोधन है उसके बारे में जैसा कि मैंने निवेदन किया है उसका खयाल रखते हुए अब सब क्लॉज (५) की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उसमें तहसील पंचायत को रखने का प्रोविजन है और मेरा संशोधन उसको उठाने का है इसलिये अब मुझे इस पर और ज्यादा अर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मंजूर करें।

श्री **तेजसिंह**—अध्यक्ष महोदय, जुर्माने के संबंध में मैं अर्ज करूंगा कि सिलैक्ट कमेटी ने जर्माने की रकम १०) रु० से १५' रु० करदी थी इसलिये १) रु० रोजाना म लिया जाकर २५) रु० से ज्यादा रकम जुर्माने के रूप में नहीं ली जानी चाहिये।

मेरा जो संशोधन सब क्लॉज (१) में है वह इस प्रकार है:—

"At the end of sub-clause (1), add the following proviso :—

'Provided that no such fine shall exceed to twenty five rupees in the aggregate,"

इस सम्बन्ध में अभी श्री जवान सिंह जी ने सदन में काफी प्रकाश डाला है। मैं इतना निवेदन करूंगा कि जो तहसील पंचायतें होंगी वे थोडी बहुत पार्टी बेसिस पर होंगी क्योंकि उनके लिये दलबन्दी होना अनिवार्य सा हो जायगा। इसलिये यह आवश्यक है कि पंचायत की अपील किसी ऐसी बॉडी म

[श्री तेजसिंह]

पास जानी चाहिये जो कानून जानने वाली हों। इसलिये मेरा संशोधन है कि पंचायत की अपील एस.डी.ओ. के पास जानी चाहिये। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो सब क्लॉज (५) में पंचायत ऑफिसर के बदले में एस.डी.एम. रखा जाय तो अच्छा होगा। इससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री खेतसिंह। (अनुपस्थित)

श्री हिम्मतसिंह झटरू।

श्री हिम्मतसिंह—तहसील पंचायत कायम करने के विषय में मुझे माननीय मंत्री जी को यह सुझाव पेश करना है कि तहसील पंचायतों को कायम करने से जो बातें आप चाहते हैं वे कदापि नहीं होंगी और उल्टे और कई झगड़े खड़े हो जावेंगे। पहली बात तो यह है कि अपील का जो सिलसिला रखा गया है वह अपील ऐसे आदमियों के हाथ में होगी जो करीब ग्राम पंचायतों के मुकाबले के होंगे और वे कानूनी बातों के अन्दर माहिर नहीं होंगे। लोगों को अपील में कानूनी राहत नहीं मिलेगी और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े झगड़े खड़े हो जावेंगे। जो जो बातें और अधिकार आपने तहसील पंचायत वालों को दिए हैं उनसे वे तहसील पंचायत वाले पंचायतों के कामों में दस्तन्दाजी करेंगे, काम नहीं करने देंगे। अतः मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि तहसील पंचायतें कायम करने से आप लोग अच्छा इन्तजाम नहीं कर पाएंगे और आपही को दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, आप इस पर विचार कीजिएगा।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्षजी, १०) रु० के बजाय १५) रु० पर ऐतराज किया गया है। मैं सदन की जानकारी के लिये यह सूचना पेश कर दूं कि पंजाब में २५) रु० कर दिया गया है; उसके मुकाबले में यहां भी १०) रु० के बजाय १५) रु० किया गया है।

दूसरा सब क्लॉज (१) में 'and if the disobedience......continue' तक डिलीट करने के लिए कहा गया है। मैं आपको यह कहूंगा कि हमारे राजस्थान में जहां जहां पंचायतें चल रही हैं वहीं सब जगह यह लागू है। कहीं किसी जगह टोर्चर (torture) करने की बात साबित नहीं हुई है। गांव के कई आदमी तो कानून से डरते हैं और डर कर चलते हैं और कई ऐसे आदमी होते हैं जो नहीं डरते हैं। यह सवाल तो उन लोगों के लिये हो सकता है जिनका खयाल दूसरा हो। वे लोग चाहे अब ३०) रुपया फेंक कर भी कन्टीन्यू कर सकते हैं। अतः मैं समझता हूं कि यह क्लॉज अवश्य रहना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। हमारे यहां के १३ हजार गांवों में यही तरीका चालू है। दूसरा संशोधन इसमें यह भी आया है कि २५) रु० से आगे न बढाया जाय। अतःमैं समझता हूं कि जिस प्रकार यह क्लॉज है वैसे ही इसको मंजूर कर लिया जाना चाहिए।

खेतसिंहजी ने संशोधन पेश नहीं किया।

[श्री रामकरण जोशी].

श्री जवानसिंह जी ने एस. डी. ओ. वगैरह के लिए आशा प्रगट की है। इन सारी बातों से तो एक वर्ग के लोगों को ही न्याय मिलने की आशा रह सकती है। देहात के गरीब लोगों को दिक्कत हो जायगी। यह भी कहा गया है कि गांवों में पढ़े लिखे लोग कम हैं और पंचायतों में पढ़े लिखे कम होने से मूर्ख आदमी न्याय नहीं कर सकेंगे, यह धारणा गलत है। जो यह धारणा है वह वास्तव में एक्ट में नहीं रखी गई है और रहने वाली भी नहीं है। बात यह है कि गांवों के झगड़ों को निपटाने के लिए बड़ी बड़ी अदालतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिये और आपस में मिलकर निपटाने से ही सस्ता और सीधा न्याय मिल सकता है। उन लोगों के सामने जरा सा भी झूठ नहीं चलने वाला होता है क्योंकि वे ही लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं,और सारी बातों को जानने वाले हैं। यह सोचना पचायतों की भावना के विपरीत है कि न्याय की परम्परा एस. डी. ओ. और मुन्सिफ से ही रह सकती है और पचायतों से नष्ट होती है।

एक बात और कही गई है और वह यह है कि तहसील पंचायतों के चुनाव में देरी होगी, इससे अपील और रिविजन के मामले पड़े रह जावेंगे, स्टे आर्डर्स (stay orders) निकालने पड़ेंगे, काफी परेशानी होगी आदि। मैं आपको अर्ज करूं कि जिस गांव में पंचायतों का चुनाव हो जायगा उसके बाद फिर तहसील पंचायत का चुनाव हो इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रिविजन के अधिकार डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के पास मौजूद हैं। जहां तहसील पंचायत नहीं होगी तो वे इसको सुन सकेंगे। अतः इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बात सही है कि पंचायतों के खिलाफ अपील और रिविजन के अधिकार तहसील पंचायत के पास रहें; बजाय इसके कि एक अधिकारी उनको (अपील्स व रिविजन्स को) सुने जो कि सरकार का नौकर है। मैं आपको इस सबंध में पहले भी काफी बता चुका हूं।

तहसील पंचायत के अन्दर केलिबर की बात कही गई है। यह कहा गया है कि जो ग्राम पंचायतों का केलिबर होगा वही केलिबर तहसील पचायतों का होगा। यह बात ठीक है। मैं आपसे इस सबध में अर्ज करूंगा कि गांवों के लोग आखिर इन बातों को देखेंगे कि गांव की प्रणाली से न्याय-व्यवस्था हो रही है या नहीं। उस प्रणाली को गांव के लोग ही समझ सकते हैं। तहसील पंचायत एक बड़ी रिप्रे-जेन्टेटिव बॉडी है, उसका क्षेत्र बड़ा होता है, और क्षेत्र बड़ा होने से ज्यादा व्यक्ति की जानकारी होती है; विश्वास रहता है लोगों का उनमें तथा वे सब आदमियों से परिचित होते हैं, क्योंकि सरपन्च सारी तहसील का नुमाइन्दा होता है। अतः गांव के लोग अधिक समझते हैं और इसमें यही भावना निहित है इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठाता है।

श्री खेतसिंह ने सब-क्लॉज पांच में जो अमेन्डमेन्ट दिया है जो इस प्रकार है "Or, as the case may be, Panchayat Officer." इसको डिलीट कर देने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। बाकी सारे संशोधन मुझे अस्वीकार हैं मैं संशोधनकर्त्ताओं से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष–So the amendment of Shri Khet Sing is accepted in sub-section (5) and that the rest is : "The Tehsil Panchayat shall, after giving such hearing as may be necessary, confirm, vary or set aside the order appealed from."

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment of Shri Khet Singh in sub-clause (5) be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Amendment No. 5 put in by Shir Shambhu Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that Amendment No. 62(A) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

The question is that Amendment No. 6 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

The question is that Amendment No. 157 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

The question is that the amendment, put in by Shri Jawan Singh that the words "The S.D.O. or the Munsiff, as the case may be" be substituted for the words "Tehsil Panchayat" in sub-clause (4), be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

# Page No.35



[श्री अध्यक्ष]

The question is that Amendment No. 158 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

The question is that the Amendment put in by Shri Jawan Singh regarding deletion of sub-clause 5 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Amendment No. 159 by Shri Tej Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Clause 27 as amended stand part of the Bil'.

(स्वीकृत)

Clause 27 is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Chapter IV—Judicial Powers of Panchayats.
Criminal.

Clause 28.

(श्री रामकरण जोशी की ओर संकेत करते हुए)

You accept the amendment No. 64 by Shri Tan Singh ?

**श्री रामकरण जोशी**—इस क्लाज के प्रोविजो (१) में जो शब्द 'descriptive' है यह टाइप की गल्ती के कारण ऐसा होगया है, शब्द "description" होना चाहिये, स्पैलिंग की मिस्टेक हो गई है। मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं। बाकी और कोई अमेन्डमेन्ट स्वीकार नहीं हैं।

श्री **अध्यक्ष**—(श्री भैंरूसिंह को संबोधित करते हुए)

You want to m ve your amendment ?

श्री **भैंरू सिंह**—माननीय अध्यक्ष, इस क्लाज २८ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

" Parts (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of the first proviso re necessary and should not be deleted "

अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल सदन के सन्मुख विचारार्थ प्रस्तुत हुआ और जो बाद में प्रवर समिति में विचारार्थ रक्खा गया उस वक्त इस क्लाज में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में जो यह धाराएं थीं उन सबको original (मूल) बिल में रक्खा गया था। जिस वक्त प्रवर समिति ने विचार किया तो अनावश्यक समझा और जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने क्लाज २८ के विषय में यह लिखा " In the opinion of the Committee, the parts (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of the proviso to the clause are unnecessary and place uncalled for restrictions n the jurisdiction of the Panchayats. These parts have, therefore, been deleted". अतः इन सब क्लाजेज को डिलीट कर दिया।

जिस वक्त यह बिल ला विभाग में गया, जिनको सरकार पंचायतों के मामले में एक्सपर्ट समझती थी, तो उन्होंने पंचायत के फौजीदारी मामलों के क्षेत्र में बन्धन रखना उचित समझा। पर उनको सिलेक्ट कमेटी ने न मालूम क्यों, महज इतनासा लिखकर कि यह पंचायतों के अधिकार में एक अनावश्यक बन्धन होगा, इन सब क्लाजेज को डिलीट कर दिया। अगर इस संबंध में सिलेक्ट कमेटी उन कारणों पर प्रकाश डालती जिन कारणों से इसे अनुचित समझा गया तो बहुत मुमकिन था मुझे विचार करके अ ने संशोधन को विचारार्थ प्रस्तुत करने का अवसर न आता। पर ऐसे किसी कारण का जिक्र सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया इसलिए इस संशोधन को इस बारे में दुबारा विचार करने के लिए मैंने प्रस्तुत किया है।

इसके अन्तर्गत पंचायत के फौजदारी मुकद्दमों का क्या क्षेत्र होगा इस बात का विश्लेषण किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि इस क्लाज के परिशिष्ट (क) में दिये गये कामों का फैसला पंचायत द्वारा हो सकेगा। लेकिन उनमें से कुछ मुकद्दमे ऐसे होंगे जिनकी सुनवाई पंचायत नहीं कर सकेगी, वे इस क्लॉज में दिये गये हैं। जैसे पहला यह है कि जो पहले किसी ऐसे अपराध के लिए सजा पा चुका है जिसके लिए भारतीय दण्ड विधान के अध्याय १२ अथवा १७ के अन्तर्गत तीन वर्ष या अधिक वर्षों के लिए कैद की सजा है वह दी जा सकती है। इसको सिलेक्ट कमेटी ने वैसा का वैसा मान लिया।

दूसरा है किसी अपराध में समान कारावास की समान अवधि के लिए सजा देने का। इन दो चीजों को मन्जूर कर लिया गया है। बाकी के जो चार क्लॉज थे उनको मन्जूर नहीं किया।

उनमें यह है। एक एक क्लाज को मैं सदन के सन्मुख रक्खूंगा:—

(१) चोरी या चोरी का माल लेने पर पहिले पंचायत द्वारा सजा मिल चुकी हो।

Page No.37



[श्री भैरूंसिंह]

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस क्लाज के अन्तर्गत इस बिल की खन्ड ३० के अनुसार यह अधिकार पंचायत को दिया गया है कि कोई भी पंचायत ५०) रुपये से ज्यादा जुर्माना नहीं कर सकेगी। एक तरफ तो यह चाहते हैं कि हम ऐसे समाज विरोधी तत्वों को सजा दें; जो चोरी करते हैं, चोरी करने में किसी प्रकार की मदद करते हैं या चोरी का माल अपने पास रखते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दें ताकि वे समाज में एक प्रकारके उदाहरण बनें और जो बुराई है वह जल्दी से जल्दी खतम कर दें और दूसरे समाज विरोधी तत्वों के लिए भय पैदा कर दें। इसको खत्म करने के लिए ही हमनें हैबिच्युअल आफेन्डर्स बिल भी पास किया है। एक तरफ तो हम इतनी सख्ती करना चाहते हैं और दूसरी ओर जो इसको रोकने में कहीं कारागार साबित हो सकती है उस पचायत को ५० रुपया जुर्माना करने से अधिक अधिकार नहीं देना चाहते। मेरी समझ में नहीं आता कि इस मामले में क्यों सरकार यह ढिलमिल नीति का आश्रय ले रही है। ये चोरी के काम ऐसे हैं जो मामूली आदमी नहीं कर सकता। यह तो जो आदतन काम करते हैं रात और दिन वे ही कर सकते हैं।

इसके परिशिष्ट में यह दिया गया है कि ऐसी चोरी जिसमें चुराई गई सम्पत्ति की कीमत २५ रुपयों से अधिक न हो वैसे मामले की सुनवाई करे। एक आदमी तीन-तीन चार-चार दफा गुनाह करता है और वह चोरी का माल रखने के लिए गांव में आदतन मशहूर है वह अगर दूसरी-तीसरी दफा वही माल रखता है तो पंचायत उस पर पचास रुपया जुर्माना कर सकती है। मैं समझता हूं ऐसे आदमी के लिए जो चोरी से माल कमाता है, चोरी का सामान रख कर दूसरे के सामने नजीर रखता है और यह मिसाल पेश करता है कि मैं चोरी भी करता हू और फिर भी पंचायत मुझ पर पचास रुपये से ज्यादा जुर्माना नहीं कर सकती तो मैं समझता हूं कि यह एग्जेम्पलरी पनिशमेन्ट (examplary punishment) नहीं है कि जिससे डर कर दूसरा आदमी यह काम नहीं कर सके।

(२) दूसरा जो है वह यह है जो चोरी करने का अभ्यस्त हो।

अब पंचायत को अधिकार दिया गया है कि अगर उसके सन्मुख किसी अभ्यस्त अपराधी का मुकद्दमा हो तो वह उसकी सुनवाई कर सके। हैबिच्युअल आफेन्डर वह करार दिया जा सकता है जो इस (Habitual Offenders Act) एक्ट के मातहत तीन दफा १० साल तक की भी सजा पा चुका है उसी का बाद में हैबिच्युअल आफेन्डर करार दिया जावेगा। अगर वही अभ्यस्त अपराधी उसी प्रकार के दूसरे क्राइम करता है तो पंचायत वहीं उसकी सुनवाई करे। आप अब देखिये कि वह अदालत उसकी सुनवाई करे जो अभ्यस्त अपराधी है और दस-दस साल को सजा पा चुका है और जिसके ऊपर वह ५० रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकती जिसको महज पचास रुपया जुर्माना करने का अधिकार है। यह पचास रुपये का जुर्माना उस पर मामूली होगा। दूसरी बात यह है कि और दूसरी चोरी करके या ऐसा ही कोई क्राइम करके वह पचास रुपया आसानी से कमा सकते हैं। इसके लिये तो दो तीन या चार-पांच साल की सजा नहीं होगी तो इसके क्राइम में तो किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। पचायत को उनके क्राइम सुनने का अधिकार देकर तो इनकी क्राइम की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन ही देना है एक तरह से। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस तरह के क्राइम की सुनवाई करने का अधिकार पंचायत को नहीं होना चाहिये

[श्री भैरूंसिंह]
जिसमें हैबिच्युअल आफेन्डर्स एक्ट के मातहत किसी दर्ज किये हुए आदमी का मामला हो। ये मामले तो कोई ट्रिब्यूनल या कोई सुने और उस एक्ट के मातहत ही सजा तजवीज कर दे ताकि फिर किसी को क्राइम करने की हिम्मत न पड़े।

तीसरी बात लिखी है कि 'Has been bound over to be of good behaviour under section 109 or section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898." इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि ये दोनों प्रकार की धाराएं इस प्रकार हैं कि एक धारा में ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे समय में गिरफ्तार किया जावे जिस वक्त कि मुलजिम क्राइम (crime) करने के लिए किसी एक विशेष स्थान के अन्दर पुलिस अधिकारियों द्वारा पाया जावे और दूसरी धारा १०० है जिसमें यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को यदि उस जगह का पुलिस थाना या मजिस्ट्रेट खुला रखने से समाज को खतरा पैदा होते देखे या जिसके खुला रहने से समाज को खतरा पैदा होने की आशंका हो अथवा जो जरायम पेशा हो और जिसके कारण समाज के अमन में खलल पैदा होती हो तो उसे दफा १०९ और ११० के लिए पाबन्द किया जाता है। वही आदमी कोर्ट के जरिये से तीन बार सजा याफ्ता होने पर हैबिच्युअल आफेन्डर की गिनती में आ जाता है। उनको खुला रखना समाज के लिए खतरा है। जब इस प्रकार की चीजें कोर्ड के द्वारा मान्य समझी जाती हैं और कोर्ट यह समझता है कि इस व्यक्ति से किसी भी समय समाज को खतरा पैदा हो सकता है तो कोई उसको नेकचलनी के मुचलके के लिए पाबन्द करती है उस हैबिच्युअल आफेन्डर को उस कोर्ट के पास न ले जाकर पंचायत के पास ले जावें जिसको कि पचास रुपये से अधिक दण्ड देने का अधिकार नहीं है तो इससे कोई समाज का हित नहीं होगा। क्राइम्स को जिन्हें हम कम करना चाहते हैं, कम नहीं होंगे। पंचायत अपने पचास रुपये के जुर्माने से इस क्राइम को समाप्त नहीं करा सकती। उस हैबिच्युअल आफेन्डर के कार्य पर पाबन्दी नहीं डाल सकती। इसलिये इन मामलों को पंचायत द्वारा तैयार कराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पाबन्दियां लगाये हुए इन व्यक्तियों की पेशी किसी पंचायत के सामने न कराई जाकर उसी कोर्ट के द्वारा कराई जावे जिसने उनको पाबन्द किया है या किसी अन्य कोर्ट द्वारा उसको पेशी कराई जावे जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेन्ट (punishment) दिलाया जा सके जिससे उस अपराधी के जीवन पर असर हो; उससे डर कर समाज के अन्य अभ्यस्त अपराधी लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ें और उससे नसीयत लें।

चौथी क्लाज के अनुसार सार्वजनिक जुआ खेलने के अपराध में जो अपराधी सिद्ध हो चुका उसकी सुनवाई पंचायत कर सकती है। समाज में यह बहुत बुरी बीमारी लगी हुई है सरकार को चाहिये कि वह लोगों को इस बिमारी से दूर रखे। सरकार चाहती है कि इस बीमारी से दूर रखने के लिए, जो लोग जुआ खेलने के आदि हैं, उन पर जुर्माना किया जाय और सजा दी जाय जिसके कारण कोई भी इस प्रकार का जुर्म न कर सके। यह बीमारी सभी जगह फैली हुई है, शहरों में और गांवों में भी। बड़े बड़े शहरों में तो यह आम चीज बन गई है और बाहर गांवों में भी यह चीज दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। इस बढते हुए बुरे तत्व को खत्म करने के लिए सरकार को चाहिये कि वह इस और सख्ती से कदम उठावे। मैं समझता हूं कि जुआ खेलने की शिकायतें जब पंचायतों में जायगी तो ५० रुपये उस शख्स

# Page No.39



[श्री भैरूंसिंह]

पर जुर्माना कर सकेगी। अगर एक दफा के जुर्माने से वे बाज आ जायेंगे सो तो बात नहीं। जुआ खेलने से एक प्रकार की आमदनी होती है, यहां तक पांच-पांच हजार रुपया तक की आमदनी भी इससे लोग करते हैं, उनके लिए पचास रुपया जुर्माना देना कोई बडी बात नहीं होगी। अगर इस तरह से यह मामले पंचायतों के पास जायेंगे और वहां से यदि वह शख्स पचास रुपये के जुर्माने के बाद ही छूट जायगा तो यह किसी प्रकार न्यायोचित नहीं। इस तरह से जूआ खुले रूप में खेला जायगा। शहरों में जो पाबन्दी है वे लोग गांवों में जायेंगे जहां पंचायत का क्षेत्र होगा। वहां जायेंगे और वहां खुले आम जुआ करेंगे और पकडे भी जायेंगे तो ५०) रुपया देकर छूट जायेंगे।

श्री **अध्यक्ष**—You want that the Panchayat should not be empowered with the jurisdiction. I do not want to obstruct you but what I can gather from the words of the clause is that there is a check on the Panchayat to take cognizance in certain cases. The words are "provided that no such cognizance shall be taken in which the accused is............" so and so. So in such cases the Panchayat cannot take cognizance.

श्री **भैरूंसिंह (जमुआ रामगढ़)**—अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह सब क्लाज सिलेक्ट कमेटी ने हटा दिये हैं। मैं आपको पढकर सुनाता हूं जैसा कि सिलेक्ट कमेटी ने सुझाव दिया है।

"*Clause* 28—In the opinion of the Committee the parts (*iii*) (*iv*), (*v*), (*vi*), and (*vii*) of the proviso to the clause are unnecessary and place uncalled for restrictions on the jurisdiction of the Panchayats. These parts have therefore been deleted.

इसलिये मैंने अपना संशोधन रक्खा है।

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—माननीय अध्यक्ष, बात यह है कि यह तो भावना के समझने में अलग अलग दृष्टिकोण का फर्क मालूम होता है सारे राजस्थान में जिस गेम्बलिंग के बारे में अभी कहा गया है . . . . .

श्री **अध्यक्ष**—So I wanted to know whether Clause 28 as amended is acceptable to you ?

श्री **रामकरण जोशी**—No Sir, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कांग्निजीवल आफेंसेज पंचायतें नहीं ले सकती। कांग्निजेबिल के पावर्स देने के लिए इनको डिलीट कर दिया गया है :—

"Provided that no such cognizance shall be taken in any case in which the accused is.................."

इसमें ३,५,६,७ को सिलेक्ट कमेटी ने यहां रखना उचित नहीं समझा क्योंकि यह पंचायत के अधिकारों में दखल है क्योंकि पुलिस अधिकारी वहां नहीं होते हैं। हर जगह पर पुलिस आथोरिटीज नहीं हुआ करतीं

[श्री रामकरण जोशी]
इसलिये यह अधिकार पंचायतों को दिये गये हैं जिससे सदस्य ने जो हालात बयान किये हैं वे ज्यादा अच्छी तरह से अमल में आ सकें। सिलेक्ट कमेटी ने बहुत सोच समझकर सब क्लाज को अलग रखा है।

श्री **भैंरू सिंह (दांतारामगढ)**—माननीय अध्यक्ष, इस क्लाज पर मैं बोल रहा था बीच ही में मुझे बैठने के लिए आज्ञा दे दी गई और मैं बैठ गया। इसके बाद माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है कि इस तरह के अधिकार पंचायतों के पास होने से काम में रुकावट होगी। मेरा ऐसा मानना है कि उनके अधिकारों में कोई रुकावट नहीं आयगी बल्कि पंचायतों के अधिकारों की वृद्धि होगी। एक एक जुआ खेलने वाले के लिए पचास रुपये जुर्माना देना कोई बड़ी चीज नहीं होगी। वे जो पचास रुपये उस पर जुर्माना होंगे उससे खुले आम जुआ खेलेंगे और दस-दस बीस-बीस हजार रुपये पैदा करेंगे। माननीय मंत्री महोदय को चाहिये कि वे इस क्लाज को सिलेक्ट कमेटी की राय के अनुसार डिलीट न करके ज्यों का त्यों इसे मन्जूर करें।

इसी प्रकार दूसरी चीज है कि धारा १०९ और ११० के मुताबिक जमानत या मुचलके पर जिनको नेकचलनी के लिए पाबन्द किया जाता है, जो समाज के लिए खतरा है और जिसके खुले रहने से समाज की शान्ति को खतरा है ऐसे लोगों के खुले रहने से समाज में अशान्ति पैदा हो सकती है ऐसे लोगों से जमानत या मुचलके के तौर पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक लिये जाते हैं, अगर उन लोगों को आयन्दा जुर्म करते हुए पाया जायगा तो वे उस जमानत या मुचलके को जब्त कर लेंगे और वह जब्त हो जायगा। लेकिन वे अब क्या करेंगे कि वे सीधे पचायतों के पास जायेंगे जो उन पर पचास रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकती, पाचस रुपयें देकर वहां से माफी हो जायगी। इस तरह एक तरफ तो इस जुर्म को नहीं होने दिया जाय इसलिये कोर्टस के द्वारा जो पचास से लेकर ५ हजार रुपये तक के लिये मुचलके लिए जाते थे वे अब पचास रुपये देकर बरी हो जायेंगे। क्या आप यह आशा करते हैं कि पचास रुपया जुर्माना देकर वह शख्स क्या उस प्रकार की आगे कार्यवाही नहीं करेगा, यह मानना जबर्दस्त भूल होगी। जबतक हम उन पर १०९ और ११० के अनुसार सजा या जुर्माना न दिलादें तबतक किसी प्रकार का फायदा समाज को नहीं हो सकता। एक तरफ माननीय मंत्रीजी फरमाते हैं कि इस प्रकार करने से उनको वह रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पडेगी। मैं कहता हूं कि एक तरफ तो आप हैबिच्युअल आफेन्डर का कानून बनाते हैं, जरायम पेशा लोगों को रोकने के लिये तथा और भी कई प्रकार के आप कानून बनाते हैं और दूसरी ओर आप पचास पचास रुपयें में अभ्यस्त अपराधी को क्षमादान दे रहे हैं कि वह पचास रुपये देकर किसी प्रकार का भी अपराध कर सकता है। कोर्ट में वह जायगा तो पचायत उस पर जेर दफा ७५ के सजा बढाने के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकेगी। धारा ७५ के अनुसार भाग १२ और १३ में दिये हुए अपराध को अगर कोई दुबारा करता है तो कोर्ट को अधिकार है कि उसमें उल्लिखित सजाओं से भी ज्यादा सजा दे दे। किन्तु वह कोर्ट के सामने ही नहीं जायगा तो उसको ज्यादा सजा देने के अधिकार का उपयोग कोर्ट नहीं कर सकेगी। इसी प्रकार जो आदतन जरायम पेशा है और जिन्होंने जरायम कानून के अनुसार सजा पा ली है वे शख्स दुबारा कोर्ट के समक्ष न जाकर पंचायतों के सामने जायेंगे इस तरह से कोर्ट जो ७५ धारा के अनुसार सजा में इजाफा कर सकती है नहीं कर सकेगी, और इस तरह से कोर्ट सजा को बढाने से भी वंचित रह जायगी। वह मामला पंचायतों के पास आयगा और पंचायतें उस

# Page No.41



[श्री भैरूंसिंह]
पर पचास रुपये से ज्यादा जुर्माना नहीं करेंगी। इस प्रकार उस व्यक्ति को जिसने दूसरी दफा अपराध किया है ज्यादा सजा मिलनी चाहिये लेकिन वह पंचायत के जरिये मामूली पैसा देकर छूट जायगा। उस आदमी को अच्छी सी सजा मिलनी चाहिये। एक दफा क्राइम किया, दूसरी दफा क्राइम किया तो ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा सजा कानून के जरिये कोर्ट की मार्फत दिलानी चाहिये। पंचायत को सजा देना किसी तरह से न्यायोचित नहीं होगा।

दूसरी चीज यह है कि जो पंचायत द्वारा एक दफा सजा पा चुका है....

श्री **रामकरण जोशी** (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष, कि यह पहले कही हुई बातों का रिपीटीशन (repetition) हो रहा है।

श्री **भैरूंसिंह** (दांतारामगढ)—मैंने जो बातें रखी हैं उनका जवाब सदन के समक्ष क्या मंत्री महोदय रखेंगे ?

श्री **अध्यक्ष**—वे कहेंगे पहले आप तो बन्द कीजिए।

श्री **भैरूंसिंह** (दांतारामगढ)—मेरी बातों का जवाब नहीं आया है।

श्री **अध्यक्ष**—I only made some Querry.

श्री **भैरूंसिंह**—मैं इतना ही कहकर माननीय मंत्रीजी के जवाब के पश्चात् जो नई चीज होगी उसे सदन के समक्ष रखूंगा। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **गोपीलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी जवाब दें उसके पहले मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं ताकि उस पर वे विचार कर लें। मेरे मित्र भैरूंसिंह जी ने जो बातें कहीं उनका जवाब माननीय मंत्री जी ने जो दिया है उसमें थोडा फर्क हो रहा है। मैं समझता हूं कि उनका स्टेप बिल्कुल सही है और इसका मतलब यह लेता हूं कि पंचायतें लेंगी ही नहीं उन चीजों को। पंचायत बतौर रिपोर्टर के काम कर सकती हैं और केस को अदालत में भेज सकती हैं एक क्राइम में एक दफा पंचायत ने सजा दे दी और दुबारा वह पंचायत के सामने आ जाय तो पंचायत उसको ट्राइ (try) करने के बजाय कोर्ट के पास भेज दे। इस तरह १०७ वाले जो केसेज पहले आ चुके हैं उनको कडी सजा दिलाना चाहिए। पंचायत उसके कोर्टस को रेफर कर देगी, यह इसका सेन्स है। इसलिए अमेन्डमेन्ट को अवश्य मान लेना चाहिये।

श्री **रामकरण जोशी** (स्वायत्त शासन मंत्री)—मेरा खयाल ऐसा है कि इसको मिसअन्डरस्टेन्ड (misunderstand) किया गया है। सवाल यह है कि इसको कोई इन्कार नहीं करता है कि जो बडा अपराधी है उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिये। जैसा जुर्म करता है उसके अनुरूप उसको सजा मिलनी चाहिये और सजा मिले। लेकिन सवाल यह है कि एक हैबिच्युअल ऑफेन्डर है और जब पुलिस के लोग वहां जाते हैं तब वह गायब हो जाता है और पुलिस जब वहां से चली जाती है तो फिर गांव में निकलता है।

[श्री रामकरण जोशी]

है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसी सूरत में पंचायतें वहां रहें तो उसमें दखल दे सकती हैं, उसको रोक सकती हैं और उसके लिए हमेशा सुपरविजन रख सकता है। देहात में जुआरियों के बारे में कहा गया है कि हजारों रुपयों का जुआ होता है कस्बों में, गांवों में और शहरों में, लेकिन यह सुनने में नहीं आया है कि वर्तमान में जो अधिकार मौजूद हैं उनसे जुआरियों को सजा दिलाने में कोई मदद मिली हो। राजस्थान में कितने जुआरियों को साल भर में सजा मिली है ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धारा इस तरीके के सुपरविजन को इतना बढा देगी कि उतने ही ज्यादा दोषी पकड़े जायेंगे। दोषी के एक दफा, दो दफा संजायाफ्ता हो जाने के बाद में उसे यह डर होता है कि वह सजायाफ्ता है, चाहे जुर्माना ५,५० या ५०हजार रुपये हों। आखिर वह जुर्माना है। लेकिन उस पर ऐसे काम से जुर्माना हुआ है, ब्लेक मार्क उसके केरेक्टर पर लिखा गया है तो फिर वह बराबर बचने का प्रयत्न करता है।

इसके उपरान्त भी धारा ५६ है। उसके मुताबिक, यानि धारा ५६ में यह बात साफ आई हुई है कि ऐसा कोई जुर्म जिस में ज्यादा सजा दिलाने की बात हो, जिन्हें बडे जुर्म में सजा दिलानी हो तो उसको कोर्ट में भेजा जा सकता है और उसे पंचायत भेज सकती है। सो ५०) रु० से आगे सजा बढाने की बात में उनको भेजने का अधिकार है। इसके अलावा सामान्य अदालत का जो जुरिस्डिक्शन है वह इसके, पुलिस को जो जुरिस्डिक्शन है वह इसके हो जाने के बाद भी नहीं जाता है, वह तो मौजूद है। यह तो अपराधियों की देखरेख विस्तृत हो जाय सारे क्षेत्रों में, इस बारे में है। देहातों में देख रेख करने के लिए यह है। वहां कौन गेम्बलिंग करते हैं, कुछ इस तरीके के काम करते हैं, दफा १०९ व ११० के अपराध करते हैं, देहातों में तो यह पंचायते वहां मौजूद हैं उनकी देखरेख करने के लिए। उनको दखल देने का अख्त्यार है। पुरानी जो पंचायतें थीं उनको इन मामलों में कानून के मुताबिक दखल देने का अख्तियार नहीं था। इससे उनको वह अधिकार मिलता है। इससे उनको विशेषाधिकार मिलेगा कि वह दखल देकर उनको पकड़ लेगी और सजा मुनासिब दिलाने के लिए उन्हें कोर्ट्स को भेज दें। इसके लिए वह बात धारा ५६ में आगई है। जैसा कि यादव साहब ने फरमाया है इसमें रोकथाम की बात है, किसी को छोड़ देने की बात नहीं। अगर कम सजा देने की बात है तो गेम्बलिंग के बारे में माननीय सदस्यम् झे बतायेंगे कि राजस्थान भर में कितने आदमियों को सजा मिली, ताकि पता चल जाय कि इस तरह का मौजूदा तरीका सही और मौजू है।

**श्री जसवन्त सिंह**—माननीय अध्यक्ष, अभी मंत्रीजी ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, जहां तक कागजी कार्यवाही है; लेकिन अगर पंचायतों को ऐसा काम सौंप दिया जायगा तो निर्दोष आदमियों के ऊपर इतने ज्यादा जुल्म होने लग जायेंगे कि जिसका कोई अन्त भी नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी का विचार ठीक हो लेकिन पंचायतें जैसी होंगी वह सब को मालूम है, सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार पंचायतें होंगी ? एक तरफ तो कोर्ट के शिक्षित, विशेषज्ञ और एक्सपर्ट द्वारा सजा दी जायगी, लेकिन उधर पंचायतें जो होंगी उनमें ज्यादातर निरक्षर भट्टाचार्य होंगे, बिना दिमाग के, बिना सोचे समझे कुछ भी कहें। वहां दलबन्दी के कार्य होंगे, वहां द्वेष भाव होगा, निर्दोष आदमी पकड़े जायेंगे और ऐसे निर्दोषों को सजा देने के महा जुर्म होंगे। वे ज्यादा खतरनाक होंगे बजाय इसके कि २-४ जुर्मों को छोड दिया जाय। इन बातों का विचार करते हुए जब तक हमारा नैतिक स्तर ऊंचा नहीं उठ जाय, जब

[श्री जसवन्तसिंह]

तक उस डेमाक्रेसी, जिसका कि नाम हम देख रहे हैं उसके स्तर पर नहीं पहुंच जाय, जब तक हम अपना नैतिक स्तर ऊंचा नहीं कर लें तब तक मूर्खों को इस तरह के पावर्स दे देने से निर्दोष आदमियों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म होंगे। इसलिए हम यह हक देने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री **गोपीलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, मिनिस्टर साहब ने जो यह फरमाया था कि क्लॉज ५६ से वह क्लियर हो जाता है तो मैं उनके एक्स्प्लेनेशन को मानता हूं।

श्री **मानसिंह (जमुआ रामगढ़)**—माननीय अध्यक्ष, इस विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि मेरे मित्र का जो अमेन्डमेन्ट है वह बहुत वाजिब चीज है और राजस्थान अभी तक इतनी प्रगति पर नहीं पहुंचा है कि हम ग्रामीण पंचायतों को अभी तो थोड़ी सी जगह हैं जहां कि पंचायतें पहले पहल कायम हुई हैं, उनको एकदम इतने पावर्स दे दिये जाय कि वे क्रिमिनल पावर्स (criminal powers) को भी यूज करने लगें। एक तरफ हम यह कहते हैं कि जुडीशियरी को एक्जीक्युटिव से सेपेरेट किया जाय, यह किया जाय, वह किया जाय दूसरी तरफ इस तरह हमारे एक मित्र ने फरमाया था कि ग्रामीण पंचायतों में निरक्षर भट्टाचार्यों को इस प्रकार के पॉवर्स दियें जायं। यह तो सरासर एक जुल्म की बात है। मिनिस्टर महोदय को समय को देखना चाहिये, और समय को देखते हुए, ऐसे उचित संशोधन हैं उन्हें मन्जूर कर लेना चाहिये यह एक चीप पब्लिकसिटी (cheap publicity) की बात है है कि गांव में यह कहा जाय कि हमने इस तरह की पंचायतों को कायम किया, जनता का इतना अखतियार है। इस बात से ऊंचा उठना चाहिये। भले ही वे मेरे लिये गांव गांव में यह कहें कि उन्होंने इसका विरोध किया। यह एक अन्याय पूर्ण है, यह एक सरासर जुल्म है। देश के लिये बडी घातक नीति होगी। राजस्थान के लिये बहुत ही घातकनीति होगी। इस प्रकार जो पंचायतें जहां जहां कायम हुई हैं उनका कटु अनुभव है कि वे किस प्रकार से काम कर रही हैं ? मंत्री महोदय पहले पंचायतों का स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करें और फिर इस प्रकार के ऑवरवेल्मिन्गपावर्स (over whelming powers) दें हम न्यायाकूल और उचित बातें होंगी उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज राजस्थान की वह स्थिति नहीं है। इस वजह से मैं सदन से अपील करूंगा कि यदि इस बात को मंत्री महोदय मानने को तैयार नहीं हैं तो इस अमेन्डमेन्ट को पास करके सदन इस पाइन्ट को हटा दे। यही दो शब्द कहकर फिर अपील करूंगा कि इस बात को अवश्य मंजूर किया जाय।

न हो तो इस अमेन्डमेन्ट को पास करके सदन इस पॉइन्ट को अवश्य हटा दें। यही दो शब्द कह कर मैंअपील करूंगा कि मेरे कट मोशन का आप समर्थन करें और इसको पास करें।

श्री **गोपीलाल यादव**—अभी मंत्री महोदय ने जो एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) दिया है उसको में उचित मानता हूं और उनका समर्थन करता हूं।

श्री **भैरूसिंह**—माननीय अध्यक्ष—

श्री **अध्यक्ष**—There is no right of reply to an amendment motion.

श्री भैरू सिंह---Mr. Speaker, Sir, I think..............

श्री अध्यक्ष--What is there ? You will repeat the same arguments.

श्री भैरू सिंह (दांतारामगढ़)—No, Sir. आप देखेंगे कि एक भी चीज का रिपिटीशन नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रक्खा था उसके चार भाग थे । उसमें से एक भाग का जवाब मंत्री महोदय ने दिया । इससे या तो मैं यह समझूं कि मंत्री महोदय दूसरी तीनों बातों को मानते हैं या उनका कोई सदन में जवाब नहीं दे सकते । उन्होंने कहा कि जूए के सरक्षण का यदि पंचायत को अधिकार नहीं दिया जावेगा तो पंचायत उसमें दखल नहीं कर सकेगी । यदि मंत्री महोदय पंचायत को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार दिलाना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि वे राजस्थान गैम्बलिंग एक्ट में संशोधन लाकर पंचायतों को मंजूरी देदें। इस पर किसी प्रकार की आपत्ति हमें नहीं। लेकिन पंचायत एक्ट के मातहत इस प्रकार का पॉवर (power) पंचायतों को देना किसी प्रकारे उचित नहीं। माननीय मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि ५०) रुपयों का जुर्माना नैतिक जीवन पर ब्लोट होगा। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो क्राइम्स करने वाले होते हैं उनको नैतिक जीवन की कोई परवाह नहीं होती और इसीलिये तो सरकार की तरफ से हैबिच्युअल ऑफेन्डर बिल पास किया जाता है।

जब लोगों की आदत हो जाती है तो उनका नैतिक पतन हो जाता है और उसको रोकने के लिए हमने हेबीच्युअल ऑफेन्डर्स बिल पास किया है । एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हैबिच्युअल ऑफेन्डर्स बिल के अनुसार उनको रोका जाए और दूसरी तरफ यह कहती है कि ५० रुपयों का जुर्माना लोगों के ऊपर नैतिक ब्लोट होगा । मैं यह कहूंगा कि ५० रुपयों का जुर्माना जुर्म करने वालों के लिए कोई ज्यादा नहीं है ।

मंत्री महोदय ने दूसरी चीज फरमाई कि आंकड़े दिये जाने चाहियें थे । यदि वे यह बता देते कि राजस्थान में कितने अधिकारियों पर इस प्रकार की पाबन्दी लगाई गई तो ज्यादा उपयुक्त होता । दूसरी बात, उन्होंने यदि यह समझा हो कि मौजूदा सरकार गेम्बलिंग को रोकने के लिये असमर्थ रही है और उसके लिये मंत्री महोदय पंचायत को इस प्रकार का अधिकार देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई चीज उन्होंने नहीं बताई। मैं समझता हूं कि पुलिस इस संबंध में सतर्क है और इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम पुलिस पर जो बजट बढाते हैं वह इसीलिये कि वह नैतिक पतन को रोके। एक तरफ तो आप पुलिस का बजट बढाते हैं और दूसरी तरफ नैतिक पतन को रोकने के लिये पंचायतों को ऐसे अधिकार देते हैं, जिनमें नैतिक पतन में वृद्धि हो सकती है । मैं समझता हूं कि यह कतई उचित नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस अमेन्डमेन्ट पर अपना मत दें । मैं इसको वापिस लेना नहीं चाहता ।

श्री अ. दास गोयल—Shall I be allowed a few minutes, Sir ?

श्री अध्यक्ष—Shall I allow another debate ?

श्री जसवन्तसिंह—The mover of the amendment has a right to reply. I do not think any other Member has a right except the Minister-in-charge.

श्री भैंरू सिंह—अब तो माननीय मंत्री महोदय कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—.his will be very hard.

श्री जसवन्तसिंह—Sir, I may submit that under the rules the Minister-in-charge has a rig.it to reply to the amendment of the Hon'ble Member.

श्री रामकरण जोशी—No need of reply.

श्री अध्यक्ष—He can reply.

श्री गोपीलाल यादव—The Minister can reply.

श्री अध्यक्ष—I do not want to force him. If he likes he can reply. I had allowed him. So I put the question. But before I do so, if there be any agreed proposal because the question is a very important one, I can allow the debate a little more, because it relates to delegation of powers to Panchayats, and if there is any possibility of reaching a compromise, to such an extent I can allow the debate further if the House so desires.

श्री जसवन्तसिंह–Sir, the question is one of utmost important. It relates to ~unishment of innocent people and we do not want that any single innocent person should be punished. We do not mind if one or two cuplits go unpunished. It is a matter of vital importance and if the time is extended it will be discussed th›roughly.

श्री श्री दास गोयल—We all agree that innocent persons should not be punished and we may be allowed a few minutes.

श्री रामकरण जोशी–माननीय अध्यक्ष यह तो सभी ने माना है कि जूए पर रोक होनी चाहिए। इस तरफ दोनों पार्टीज का ध्यान है। लेकिन एक तरफ का यह खयाल है कि पंचायत इस काम की देखरेख ठीक तरह से नहीं रख सकती है और दूसरी तरफ का यह खयाल है कि पंचायत काबू पा सकती है। पहले पंचायतों के जिम्मे यह काम क्यों नहीं रखा गया, इसके लिये मैं पंचायतों की बुराई नहीं करता क्योंकि बहुत जगह पंचायतें नहीं थीं। मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि नये पंचायत बिल में यह इन्तजाम पंचायतों के जिम्मे रखा गया है। इस संबंध में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। यदि कोई साहब अपने अपने दृष्टिकोण बतलाना चाहें तो बतला सकते हैं। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि यह पॉवर पंचायतों को रहना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि यह एक बिल्कुल सीधा-सादा मामला है और इसका सदन अच्छी तरह से तय कर सकता है। अगर सरकार की तरफ से सदस्यों पर व्हिप (whip) नहीं लगाया जावे और उनका बगैर किसी रुकावट के इस पर अपनी राय जाहिर करने दी जावे और सरकार की राय को जाहिर करने के लिये बाध्य नहीं किया जावे त। सदन इस बात को सहज ही हल कर सकता है और इसका निर्णय कर सकता है कि कौनसी बात सही है।

श्री रामकरण जोशी—में यह कहूंगा कि व्हिप (whip) जबर्दस्ती नहीं लगाया जाता। यह तो स्वेच्छा है इसलिए यह सदस्यों की मर्जी पर है।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो मंत्री महोदय ने फरमाया है कि अलग अलग दष्टिकोण रखने की बात है, इस संबंध में में अर्ज करूंगा.....

श्री अध्यक्ष—आप सब्स्टेंन्स (Substance) की बात कहें।

श्री हिम्मतसिंह—में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय केवल पंचायत के झगड़े के बाहर नहीं देख सकते हैं। कुल स्टेट के दृष्टिकोण से उन्हें देखना चाहिये। बस इतना ही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष–I am not quite happy in interrupting the discussion but section 28 regarding criminal jurisdiction gives concurrent jurisdiction to Panchayats in cases where the Courts can take cognizance, *i.e.*, of any offence and abatement of or attempt to commit any offence specified in the first Schedule.

Then there is a provision which excludes the same in certain cases which were in the jurisdiction of the Courts. This proviso has been deleted by the Select Committee so far as certain specific cases are concerned.

Now some section of the House wants that this restriction should be placed on the Panchayats. So I wanted to know whether any amicable settlement could be reached as to what restrictions should be placed on the Panchayat's jurisdiction. Since this is a vital question and if such an amicable settlement could be reached without any controversy I can allow a longer deb... What views the Treasury Benches or the Opposition holds is not a matter which concerns me. I simply want the opinion of the House whether it is possible to arrive at a mutually agreeable decision. So with this intention in view this can be extended for tomorrow.

This is what I wanted.

श्री रामकरण जोशी— कल इस पर और बात-चीत कर सकते हैं। आज आगे बढ़ें।

श्री अध्यक्ष—So, is it the leave of the House to defer the consideration of this Clause to-day.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

खंड २६

Then we come to Clause 29. From 29 to 37 there are no amendments on these clauses. I put the question. The question is that Clauses 29 to 37 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 29 to 37 are added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Clause 38. There is only one amnendment by Shri Bhairon Singh.

श्री **भैरू सिंह**—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में मेरा संशाधन यह है कि इस क्लॉज का इस बिल से हटा दिया जाय। यह क्लॉज इस बिल में इसलिए रखा गया है कि जा एक्सीडेन्टल डेथ (accidental death) उस पंचायत के क्षेत्र में किसी गांव में हो जाय उस सबंध में भी वह पंचायत इन्क्वायरी कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, आज-कल सब जगह एक प्रकार की आम शिकायत जा है वह यह है कि हर शहर, में हर गांव में लोगों का नैतिक पतन हो जाने के कारण लोगों में दलबंदियां हो गई हैं। किसी जगह तो वह इस प्रकार का उग्र रूप धारण कर लेती हैं कि सत्य चीज का भी मिथ्या बनाने में नहीं हिचकिचाते। एक्सीडेन्टल डेथ होना स्वाभाविक है, पर कई बार दलगत भावना इस प्रकार की हो जाती है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार फंसाने का प्रयत्न करता है और जब देखता है कि उसके पंचायत के क्षेत्र में इस प्रकार की आकस्मिक मृत्यु हा गई है तो हालां कि यह स्पष्ट है कि एक्सीडेन्टल डेथ हुई है फिर भी वह अपने विरोधी व्यक्ति को फंसाने के लिये मन गढंत बातें बना कर कहेगा कि यह मौत एक्सीडेन्टल नहीं है, किसी आदमी ने जान बूझ कर मारा है, जान बूझ कर यह कार्य किया गया है। इन चीजों की इन्क्वायरी (enquiry) करने का अधिकार हम पंचायतों का देते हैं। जो ज्यादा अधिकार पंचायतों को दिये गये हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों ने सदन में उनका विरोध किया है, उसका कारण यह है कि राजस्थान में आम जनता काफी अशिक्षित है, इसलिए ज्यादा अधिकारों का दुरुपयाग पंचायतें नहीं कर लें इसलिये सबने निवेदन किया है कि पंचायतों को सीमित अधिकार दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, आकस्मिक मृत्यु कोई विशेष चीज नहीं। कोई कूए में गिर गया और मर गया, कोई हार्टफैल होकर मर गया, कूआ खोदते वक्त ईंट-ढेला गिर गया और वह मर गया, स्त्री-पुरुष में आपस में झगडा होगया और औरत कूए में कूद कर मर गई। यह सब चीजें एक्सीडेन्टल डेथ्स में आजाती हैं। पर विरोधी आदमी होगा तो कहेगा कि उसको बहुत पीटा गया और मजबूर कर दिया कि वह मर जाय, कूए में अमुक आदमी को उतारा ही इसीलिए गया था कि ऊपर से पत्थर गिराया जाय और इससे वह मर जाय, औरत मर्द के आपस में

[श्री भैरोंसिह]

लडाई होती है उसमें विरोधी की ओर से यह कहा जायगा कि उस औरत को बहुत पीटा गया था और उसे यह कहकर मरने के लिए मजबर कर दिया गया था कि अगर जिंदा रही तो जान निकाल लूंगा फिर इसका वातावरण यह बनता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को मारने के लिए यह कार्य किया है,जिससे यह मृत्यु कुए में आई है। इस प्रकार की जांच का अधिकार यदि पंचायतों को दे दिया गया तो वे पंचायतें अपने अधिकारों को अच्छी तरह अमल में नहीं ला सकेंगी और झगड़े जिनको हम रोकना चाहते हैं बहुत बढ जायगे और जिस किसी पर कत्ल का केस चला दिया गया तो बडा भारी लिटीगेशन होगा। पंचायतों को सीमित अधिकार दिये जायं तो किसी प्रकार अनुचित नहीं होगा। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि आजकल के लोगों के नैतिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इस पर गंभीर विचार करके मत प्रदान करें और यह अधिकार पंचायतों के हाथ में चले जाने से समाज और गांव की जनता का जो अहित होने वाला है उसे न होने दें।

श्री **गोपीलाल यादव (विरोधी दल)**—इस समय हमारे देश में जो चरित्र गिर रहा है उसका नतीजा यह है कि सरकारी अफसरों का हम अविश्वास करते हैं। यदि कोई अधिकारी या पुलिस वाला आता है तो रिश्वत देकर उसको टालने की कोशिश की जाती है और यदि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में कोई बात है तो वे दलबन्दी को प्रोत्साहन देंगे और पुलिस वाले बीच में आवेंगे तो उनको रिश्वत देकर टाल देंगे। इस क्लॉज का मतलब यह है कि इससे दलबंदी न हो और रिश्वत को प्रोत्साहन नहीं मिले। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको रहने दिया जाय और आप अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेलें।

श्री **मानसिंह महार**—माननीय अध्यक्षजी, ........

श्री **अध्यक्ष**—Your colleague has explained his view points.

श्री **मानसिंह**—I want to express it further.

श्री **अध्यक्ष**—If some other member wants to speak I may allow. I don't want to single you out. What I want is to impress upon you that you and your colleague represent the same party. So the view point is the same.

**कुंवर** श्री **जसवन्त सिंह**—Mr. Bhairon Singh belongs to the Sanyukta-dal and the other Member belongs to the Ram-Rajya Party.

श्री **अध्यक्ष**—But he gave an information to me that such and such member belongs to the Ram-Rajya Party.

श्री **मानसिंह**—जिन चार नामों की इत्तला दी थी उनमें श्री भैरूंसिंह का नाम नहीं है। आप शायद भूल गये होंगे।

माननीय अध्यक्षजी, अभी हमारे पक्ष के ही एक माननीय सदस्य ने मेरे मित्र से अपील की है कि वे अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेलें क्योंकि इससे जनता के अविश्वास का सवाल आ जाता है। लेकिन

[श्री मानसिंह महार]

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अगर सैक्शन ३८ को वे माननीय सदस्य पढ़ते तो उन्हें मालूम होजाता कि जनता में अविश्वास सरकार ने पहले ही कर लिया है, हम क्या करें। क्लॉज ३८ का जो सैकिण्ड पेराग्राफ है उसमें लिखा है कि गवर्नमैन्ट अपने खुद के जजमैन्ट से या चीफ पंचायत आफिसर की सिफारिश पर किसी भी पंचायत से यह अख्त्यार वापिस ले सकेगी। इसके द्वारा सरकार को बहुत बड़ा अख्त्यार दे दिया गया है। जैसा कि मेरे मित्र ने फरमाया है और मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी अपने जबाब में फरमावेंगे कि इस पॉवर को सरकार की इच्छानुसार वापिस लेने का प्रोविजन करने की क्या जरूरत है। यदि पंचायत अपने पॉवर को मिसयूज करेगी और पुलिस एक्शन लेगी तो फिर इस पॉवर को सरकार द्वारा सिंगलआउट करने की क्या जरूरत पेश आई। इसका मतलब जहां तक मैं समझ सका हूं सरकार ने यह लिया है कि जब तक सत्तारूढ़दल के हां में हां मिलानेवाले पंच हैं तब तक तो वे मनमानी करेंगे ही और जब उनकी विचारधारा के आदमी न होंगे या उनका अंकुश मानने को तैयार न होंगे तो वैसी पंचायतों से अधिकार वापिस ले लेंगे। जिन लोगों ने सैक्शन ३७ का सपार्ट किया है उनको अपने आप कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है गांवों में ऐसे केसेज़ को पुलिस बड़ी एफिशिएन्सी से डील करती है। उसकी बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। यदि इस क्लॉज को योंही रखा गया तो फिर शिकायत चार गुना और बढ़ जायगी और पहले जहां एक जगह ही रुपये-पैसे देने की बात थी वहां अब दो जगह बात हो जायगी। इसलिए इस सैक्शन को डिलीट करना बहुत जरूरी है। यदि यह सैकण्ड पैरागराफ डिलीट नहीं किया जायगा तो आपने जो बात फरमाई है वह बेकार होजाती है। इसलिए इसे अवश्य डिलीट करना चाहिये।

**श्री रामकरण जोशी**—मैं समझता हूं कि इस पूरे सैक्शन को, अभी मेरे जिन साथियों ने विचार प्रगट किया है उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है। इस धारा का यह मतलब है कि एक्सीडेन्टल डैथ (accidental death) हो जावे तो वहीं पर इन्क्वायरी करके लाश जलाने के लिए दे देवें। माननीय भैरूंसिंह जी ने कहा कि इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई आदमी अपने आप एक्सीडैन्ट से मर जाता है तो पंचायत उसकी दुश्मनी के आधार पर उसके घर वालों को सतायेगी और यह कहेगी कि उसको जबर्दस्ती मारा गया है। दर असल में होता क्या है कि जब इस तरह की कोई डैथ होती है तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो यह कि किसी ने उसको पोइजन ( poison ) दे दिया या जान बूझ कर मार दिया और दूसरा कारण यह होता है कि मरनेवाला अपने आप ही किसी एक्सीडैन्ट के कारण मर गया, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति का दोष नहीं है या किसी ने हत्या नहीं की है। जब उसका मरना किसी प्रकार की हत्या में शरीक नहीं है तो उसकी लाशको चार-पांच दिन तक पुलिस की जांच के कारण पड़ा रखकर सड़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता। सड़ान से गांव में बदबू फैल जाती है, लोग चार-पांच दिन तक रोटी नहीं खाते हैं। इसलिए ऐसी एक्सीडैन्टल डैथ्स के बारे में मौके पर पंचायत के सरपंच और पंच यह कहदें कि इस मामले में हत्या नहीं की गई है, इसलिए इस लाश को और इसके वारिसों को परेशान नहीं करना चाहिये। दर असल में होता क्या है कि कोई आदमी कूए में गिरकर मर जाता है तो आसपास के खेतों के आदमी भाग जाते हैं। कई आदमी थाने में जाकर पुलिस को इत्तला करते हैं। काफी देर के बाद पुलिस आती है और अपने सामने उस लाश को कूए से निकालती

[श्री रामकरण जोशी]

है। फिर उसकी तफतीश होती है और दो तीन दिन के बाद लाश को जलाने या दफनाने की इजाजत होती है। सरपंच और पंचों को यह तो तमीज होता ही है कि आया फलां डैथ हत्या से हुई है या एक्सीडेन्ट से हुई है। हत्या का केस होगा तो उसके लिए तो पंचायत को अधिकार नहीं है और पोस्टमॉरटम (postmortem) वगैरह कुछ कार्यवाही पुलिस की जो होती है वह होती ही है। यदि कोई पंचायत अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है और हत्या के केस को छिपा कर यह कहदे कि यह अक्समात् मृत्यु हुई है तो अवश्य ही ऐसी पंचायत के पास यह अधिकार नही रहना चाहिये। इसलिए सिर्फ अक्समात मृत्यु के मामले में वहीं का वहीं फर्स्ट हैण्ड ( first hand ) जानकारी के आधार पर सरपंच फैसला कर सकता है इससे वहां के लोगों को फायदा है।

पार्टी के आधार पर काम करने की जो बात कही गई है वह ठीक नहीं है। सारी पंचायतों के ४० हजार पंचों पर पार्टी बेसिस कैसे लागू हो सकती है? पंचायतों को दी जाने वाली ताकत में कमी करना या रोकना तो ट्रेजरी बेंचेज का काम होना चाहिये। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सत्ता सरकार के हाथ से जनता के हाथ में पहुचानी चाहिये परन्तु आप तो जनता के हाथ में ताकत पहुंचाने में बाधा डालते हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो जनता का उल्टा यह विश्वास होगा कि आप उसके अधिकारों में बाधा डालना चाहते हैं।

तो मैं क्या जवाब दूं। कभी कभी किंकर्तव्य विमूढ हो जाता हूं। जो जवाब मुझे नहीं देने चाहिये वे मुझे देने पड़ते हैं। अत: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी अहमियत से जनता को फायदा पहुंचेगा और इसको गुड सैन्स (good sense) में लेकर आप इसे मंजूर करें।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)— माननीय अध्यक्ष,..........

श्री अध्यक्ष—No right of reply.

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—मैं सदन के सदस्यों के सामने नई चीज पेश करना चाहता हूं। I want to press this point.

श्री अध्यक्ष—That you have pressed already.

श्री भैरूं सिंह—माननीय मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मझे कोई नई चीज कहनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—No new thing is allowed by way of a reply.

श्री भैरूं सिंह—माननीय मंत्रीजी ने जनता को अधिकार देने के बारे में फरमाया है उस..

श्री अध्यक्ष—You have very emphatically laid your protest against this Section.

श्री भैरू सिंह—तो क्या इस सैक्शन के बारे में मुझे बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—These are general things and on any other occasion you have a right to reply.

The Section will be put to vote. It is for the House to decide. If other members wanted to speak I would have allowed them.

Now the question is that clause 38's amendment, put in by Shri Bhaironsingh be accepted.

(मत-दान के पश्चात् ना पक्ष जीता)

श्री जसवन्तसिंह—'AYES' have it, Sir.

श्री रामकरण जोशी—'NOES' have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Then Division.

श्री जसवन्तसिंह—May I say few words, if you please allow me.

माननीय अध्यक्षजी, मैं, डिविजन हो, उसके पहले सरकारी पक्ष की तरफ के महानुभावों को यह बताना चाहूंगा कि इस क्लॉज पर जो हमारी पार्टी की तरफ से संशोधन दिया जा रहा है वह सिद्धान्तों की बुनियाद पर है और इन्हीं सिद्धान्तों की बुनियाद पर हम इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे सिद्धान्तों का सवाल है, मैं नहीं जानता कि उधर (सरकारी) के पक्ष के सिद्धान्त क्या हैं, माननीय मंत्रीजी अपनी जिह्वाजी से अपने विचारों को पकड़ कर अधिक वोटों से हमारे संशोधनों को हराना चाहेंगे। उससे न तो नुकसान होगा सरकारी पक्ष का और न ही नुकसान होगा विरोधी पक्ष का किन्तु नुकसान होगा राजस्थान की दुर्भाग्यशाली गरीब जनता का और उसका नतीजा हमेशा के लिए जनता को भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे आपस में विचार विमर्श करके इस बात को तय कर लें और एक दो दिन के लिए इसको स्थगित करवा लें। हम यह समझते हैं कि यह बात गलत है और वे यह समझते हैं कि यह बात सही है और वह गलत है। अतः यह निर्णय होने के बाद ही इस बेचारी दुर्भाग्यशाली राजस्थानी जनता का फायदा होगा।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, यद्यपि अभी तक हमको यह संतोष तो नहीं हुआ है कि जो कुछ हमने इस क्लाज में बातें रखी हैं, वे गलत हैं। फिर भी हम यह वाजिब समझते हैं जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता ने कहा है कि हम जब तक आपस में बातचीत करके तय न कर लें तब तक इसको स्थगित रखा जाय। हम इस बात के लिए तैयार हैं कि इस पर विचार स्थगित रखा जाय और इसको बाद में लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Tomorrow.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

So I take it as leave of the House to take clause 38 for consideration to-morrow.

Now we come to Clauses 39 to 50-There are no amendments and I put the question that clauses 39 to 50 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 39 to 50 are added to the Bill.

(विराम)

Now Clause 51.

**श्री जसवन्तसिंह**—May I submit one thing, Sir, which is rather very important.

अभी माननीय अध्यक्ष ने यह आदेश फरमाया था कि अमेन्डमेन्ट मूव करने पर फिर अमेन्डमेन्ट मूव करने वाले को बोलने का हक नहीं है। मैं शायद इसको गलत समझा हूं किन्तु माननीय अध्यक्षजी ने यह आदेश फरमाया था।

**श्री अध्यक्ष**—I will just let you know. The necessary Rule is 105. "Except in the exercise of a right of reply or as otherwise provided by the rules, no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Speaker for the purpose of making a personal explanation, but in that case no debatable matter may be brought forward."

A Member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion was moved by a private member, the Minister to whose department the matter relates shall have the right of speaking whether he has previously spoken or not in the debate, after the mover has replied."

**श्री जसवन्त सिंह**—Then the proviso goes still further.

**श्री अध्यक्ष**—"Provided that nothing in this paragraph shall be deemed to give any right of reply on an amendment except in the case of amendments proposed to bills and in the case of motions relating to supplies."

Apart from this if a Member wants to reply to a motion of amendment he cannot introduce new matter. The Member explicitly says that he wanted to say something else. It is the discretion of the Chair to afford a right of reply to a member or not, irrespective of the rules and when the Member specifically says that he wants to say something else other than making a reply and that was the case in case of Shri Bhairon Singhji. He clearly requeste the chair that he wants to say a few points else. This he was not entitled to. d

# Page No.53



श्री जसवन्तसिंह–That is true. Not this Sir, but the Member was forced to say that he wants to say new matter to make his point clear. Not only once or twice, but many times we have noticed so. We may be wrong or under the wrong impression that he wants to reply to an amendment and that he has the right.

श्री अध्यक्ष––He 'may'. He has not the right.

श्री जसवन्तसिंह––Of course, the Speaker has overall authority. True. Apart from that if I can read the Rules of Procedure according to us there is definite right for the mover of the amendment to have a right of reply.

श्री गोपीलाल यादव––On a point of order, Sir.......

श्री अध्यक्ष––I dont't want to enter in any discussion.

(विराम)

Yes we come to Clause 51.

श्री हरिकृष्ण व्यास––This is an important point because the illumination of the word 'may'........

श्री अध्यक्ष––Order ! Order !! Let the stage come.

श्री खेतसिंह––I think my amendment has been accepted by the Hon'ble Minister which is as under "In sub clause (2) of the clause substitute the words 'de novo' in place of 'de nove' "

श्री रामकरण जोशी––हां । इसमें कोई एतराज नहीं समझता ।

श्री खेतसिंह––Amendment No. 65 also you (Shri Ram Karan Joshi) have accepted.

श्री अध्यक्ष––Now, I put a question.

श्री गोपीलाल यादव––On a point of order, Sir.

क्लॉजों को, जिस वक्त क्लॉज बाई क्लॉज लिया जाता है, अगर किसी क्लॉज में अमेन्डमेन्ट नहीं हो तो भी । मैं समझता हूं, कि एकॉडिंग टू रूल्स (according to rules) क्लॉजेज को अलग अलग लेना चाहिये और अमेन्डमेन्ट न होते हुए भी कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है । अभी हाल ही में दस-ग्यारह क्लॉज १९ से ५० एक साथ ले लिये गये हैं । यह प्रोसिजर ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है ।

श्री अध्यक्ष—No, No. It is not against the procedure. It is according to the rules and if the House wants to discuss evey clause it has a right to that effect. When no amendments are made to the Bill, the Bill is passed as a whole. As such when there were no amendments to the clauses I precisely put them before the House. The procedure of putting all such clauses together for vote is a right procedure.

The question is that clause 51, as amended, be passed.

(स्वीकृत)

Clause 51 is added to the Bill.

(विराम)

Now clause 52. The question is that clause 52 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 52 is added to the Bill.

(विराम)

Now Clause 53.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में मेरा संशोधन इस प्रकार है:—
"Insert the word 'twice' after the word 'fails' in the first line"

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के क्लॉज ५३ के अनुसार पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ जिस किसी ने पंचायत कोर्ट में किसी प्रकार का कोई केस दायर किया हो यदि पंचायत की सूचना के बावजूद भी उस पंचायत द्वारा निश्चित तारीख पर अपने आपको हाजिर न करे तो उसकी अनुपस्थिति में पंचायत उस केस का निर्णय दे सकती है। इस प्रकार का इस क्लॉज में पंचायत को अधिकार दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा ख्याल है यह आम चीज है कि आजकल लोग बेरोजगारी के कारण एक स्थान पर मौजूद नहीं रहते और मौजूद नहीं रहने के कारण पंचायत का ही नहीं बल्कि अन्य कई कोर्ट्स के भी समन या नोटिस आते हैं और अनुपस्थिति में अदमतामील चले जाते हैं। पर कोर्ट्स में भी यह देखा जाता है कि कोर्ट एक दफा की अनुपस्थिति के कारण से जो समन या नोटिस बिना तामील कोर्ट के पास जाता है उस बात को दरगुजर करके दूसरा मौका भी दिया जाता है कि वह यदि फलां तारीख पर, जो इसके अलावा की दी जावेगी, अपने आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं करेगा तो दूसरी बार कोर्ट मामले का निर्णय दे देगी।

लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि जब कोर्ट इस प्रकार की रियायत बरत सकती है तो उसको ध्यान में नहीं रखते हुए पंचायत को इस प्रकार का अधिकार दे दिया जाना कि पंचायत में अब एक दफा

[श्री भैरों सिंह]

के समन या नोटिस के तामील होने पर पंचायत उसकी अदम मौजूदगी में निर्णय दे देगी तो यह ज्यादती होगी उस आदमी के खिलाफ जिस पर इस तरह के निर्णय से काफी असर होगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि बेरोजगारी के कारण एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव में चला जाता है, एक पंचायत के सर्कल का आदमी जो मजदूर होता है वह दूसरी पंचायत के गांव में या अन्य शहर में मजदूरी के कारण एक रुपया, दो रुपया अथवा तीन रुपया की रोजी के लिए एक-एक, दो-दो महीने के लिए भी बाहर चला जाता है और बाहर जाने के कारण कई ऐसे भी होते हैं कि अपने घर पर अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों आदि को अथवा अपने गांव वालों को अपना पता भी पूरा नहीं भेज पाता क्योंकि कारण यह होता है कि निश्चित स्थान पर भी उसकी नौकरी नहीं होती है। आज कहीं मजदूरी का काम किया तो कल किसी मिल में मजदूर बन गया, वहां नहीं हिसाब बैठा तो किसी सेठ के यहां नौकरी करली, वहां से वह सिनेमा में नौकर हो गया या किसी वर्कशॉप में चला गया। इस कारण भी वह अपना पक्का ठिकाना अपने सगे सबंधियों को नहीं दे सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर उसकी अदम मौजूदगी में कोई केस उसके विरुद्ध किसी पंचायत में कर दिया जाता है और नोटिस या समन निकाल दिया जाता है, जिसे नोटिस या समन की तामील जाब्ता फौजदारी में जैसे की जाती है वैसे इस पंचायत कानून में की जाती है और वह नोटिस या समन उसकी अदम मौजूदगी में उसके घर पर या मकान पर चस्पां कर दिया जाता है, पर जब संबंधियों को भी पूरा पता मालूम नहीं कि जिससे इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को भेजी जा सके तो इस स्थिति में अदम मौजूदगी में निर्णय दे देना उस व्यक्ति के प्रति अन्याय ही होगा; यह उचित नहीं कहा जा सकता।

मैं यह भी जानता हूं कि कई मामलों में जान बूझकर लोग समन की तामील से इवेड (evade) करते हैं तो उस इवेड (evade) करने वाले के विरुद्ध इस प्रकार की सख्ती बरतना उचित हो सकता है और यह अधिकार पंचायत को देना ठीक हो सकता है, पर इसमें कुछ न कुछ रियायत तो होनी ही चाहिये, वह रियायत एक मरतबा की न होकर दूसरी मरतबा की हो। उस वक्त हाजिर न हो सके तो उसकी अदम मौजूदगी में पंचायत केस का निर्णय कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा।

एक दफा की अदम मौजूदगी के कारण ही फैसला कर देना तो किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक दफा के बजाय "दो दफा" ये शब्द इस क्लॉज में कर दें। इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **शम्भूसिंह**—अध्यक्ष महोदय, क्लाज ५३ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:

"Sub clause (3) of the Clause should remain as originally drafted in the Bill.

अध्यक्ष महोदय, अभीतक जो क्लॉज है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि जहां कहीं पंचायत के सामने अपराधी हाजिर नहीं होता है तो उसको मजबूरन हाजिर करने के वास्ते पंचायत स्टेट अधिकारियों के पास वारन्ट भेजते हैं और उस वारन्ट की तामील पुलिस करके. . . .

श्री **रामकरण जोशी**--मैं शम्भूसिंह जी का अमेन्डमेन्ट स्वीकार करता हूं ।

श्री **शम्भूसिंह**—धन्यवाद ।

श्री **अध्यक्ष**--I think the House accepts the amendment moved by Shri Shambhu Singh. I put it to vote. The question is that amendment No. 7 to clause 53 be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Then remains the amendment of Shri Bhairon Singh. The question is that the amendment No. 95 of Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

Now the question is that clause 53, as originally drafted, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 53 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 54. Shri Bhairon Singh to move his amendment.

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ)**—क्लाज ५३ पर मैंने जो कहा है उसका माननीय मंत्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया। कम से कम उन्हें इसका जवाब देने का अवसर देना चाहिये था जिससे हमें यह मालूम हो सकता था कि किन कारणों से वे हमारे उस संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर उनकी दलीलों के जवाब में बोलने का थोड़ा अवसर हमें बाद में और मिलना चाहिये था। पर न तो माननीय मंत्रीजी ने जवाब ही दिया और न सदन के सदस्यों को यह मालूम ही हुआ कि वे इस संशोधन को मंजूर करना चाहते हैं या नहीं; यदि नहीं करना चाहते तो किन कारणों से नहीं करना चाहते। इसके बाद में अगर सदन की राय ली जाती तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री **रामकरण जोशी**—मैं समझता हूं कि जैसा कायदा है वैसा ही किया गया है। मुझे कुछ बोलना नहीं है। आपको बोलना था, बोले और बोलना है तो बोलिये।

श्री भैरूंसिह— अध्यक्ष महोदय,...............

श्री अध्यक्ष —उस पर विचार हो चुका, बहस हो चुकी।

It is not a material point. The question is that clause 54 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 54 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 55. The question is...........

श्री खेतसिंह—मुमकिन है मेरा अमेन्डमेन्ट जो इस प्रकार है माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे :

"In sub-clause 3 of the clause after the words 'case to the' the following words be inserted 'Tehsil Panchayat for disposal, and the words 'Chief Panchayat. Officer..........trial' occurring after the words 'Case to the' be deleted"

श्री रामकरण जोशी— आपके अमेन्डमेन्ट को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या यह हाउस की स्वीकृति है कि श्री खेतसिंह के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कियाजाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—सदन के सामने प्रश्न यह है कि क्या इस बिल की धारा ५५ को बिल का अंग माना जाय।

(स्वीकृत)

Clause 55 is added to the Bill. Now clause 56.

(विराम)

सदन के सामने यह प्रश्न है कि क्लॉज ५६ को बिल का अंग माना जाय।

(स्वीकृत)

Clause 56 is added to the Bill.

(विराम)

सदन के सामने क्लॉज ५७ विचारार्थ है।

श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन क्लाज ५७ पर इस प्रकार है :—

"Sub-clauses (1) and (2) should remain as originally drafted in the Bill."

# Page No.58



[श्री शम्भूसिंह]

बिल का ओरिजिनल (Original) जो ड्राफ्ट था उसकी मंशा यह थी कि सिविल के मामलों में मुन्सिफ और क्रिमिनल केसेज में सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट यथेष्ट कारण होने पर पंचायत के अधिकार क्षेत्र को रद्द कर सके । लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें तहसील पंचायत को यह अधिकार देकर इसको बिल्कुल मन्सूख कर दिया है । सिलेक्ट कमेटी ने जो संशोधन किया है उसके अनुसार यह अधिकार तहसील पंचायत को दे दिये हैं । मैं चाहता हूं कि इस तरह से सिविल कोर्टस के अधिकारों को अपने हाथ में ले लेना कोर्ट्स के प्रिविलेजेज पर एक प्रकार से आघात है । कोर्ट्स जिनको रोजाना मुकदमों से काम पडता रहता है, इस विषय में ज्यादा तजुर्बेकार हैं इसलिये जो कोई भी शिकायत आयगी उसको वे अच्छी तरह से दूर कर सकेंगे । इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार से जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र को विस्तृत किया है वह गलत है । मेरा निवेदन है कि वह जिस प्रकार ओरिजिनल ड्राफ्ट में है उसी प्रकार रखी जावे और तहसील पंचायत को अधिकार न दिया जावे ।

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, सिलेक्ट कमेटी में इस बात पर बहुत सोच विचार किया गया था और बाद में यह निर्णय किया गया था कि तहसील पंचायतें पंचायत के कार्य को समझती हैं इसलिये वे अच्छी तरह से सुपरविजन कर सकेंगी इसलिये पंचायतों के ये काम तहसील पंचायत के जिम्मे सौंप दिये गये हैं । उन छोटे २ मामलों के अन्दर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या मुन्सिफी को अपने काम से ही फुरसत नहीं मिलती है, उनके काम में दखल देना ठीक नहीं होगा । मैं बड़े दुख के साथ यह कह रहा हूं कि मुझे श्री शम्भूसिंहजी के संशोधन को स्वीकार करने में मजबूरी है और सिलेक्ट कमेटी ने जैसा तय किया है उसकी ताईद करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—सदन के सामने प्रश्न यह है कि क्या श्री शम्भूसिंह के संशोधन को स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्या क्लाज ५७ को बिल का अंग स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

Clause 57 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 58. Shri Shambhu Singh and Shri Jawan Singh

(विराम)

(स्वायत्त शासन मंत्री की ओर इशारा करते हुए)

Do you accept any of the two amendments?

Page No.59



**श्री रामकरण जोशी**—No, Sir.

**श्री शम्भूसिंह**—माननीय अध्यक्ष, क्लाज ५८ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"Sub-clause (3) :—For the words "Tehsil Panchayat" substitute the words 'Court of Munsiff and Magistrate of competent jurisdiction;" अध्यक्ष महोदय, हमें आजतक पंचायतों के काम से जो तजुर्बा हुआ है जिससे हमको यह अनुभव है कि पंचायतों द्वारा जुडिशियरी का काम ठीक तरह से संपादित नहीं किया जा सकता । अब अपील के वास्ते एक तहसील पंचायत का निर्माण किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि तहसील में जो पंच चुने जायेंगे वे कानून को जानने में नये होंगे। उनको इतना अनुभव नहीं होगा कि वे कानून के अनुसार ठीक तरह से कार्य कर सकें। इसलिये मैंने जो सुझाव रखा है कि उसके अनुसार अपीलें सिविल और जुडिशियरी की अपीलें मुन्सिफ और मजिस्ट्रेटी कोर्ट को दी जावें। क्या वजह है कि रेगुलर कोर्ट (regular court) इन अपीलों पर विचार न करें पर रेगुलर कोर्टस हमको बराबर न्याय देते रहे हैं, इनसे बराबर हमको न्याय मिलता रहा है फिर हम इन पर विश्वास न रखकर अपीलों के वास्ते हम तहसील पंचायत को अलग कायम कर दें, यह तो उचित नहीं । कोर्टस को इन बातों का बहुत ज्यादा अनुभव है। उनके न्याय में किसी को आशंका नहीं होगी, अगर आशंका हो सकती है तो तहसील पंचायत द्वारा हो सकती है। मैं सदन से अपील करता हूं कि मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर जुडिशियरी में क्रिमिनल और सिविल अपीलें मुन्सिफी और मजिस्ट्रेटी में की जावें । हां, अगर कोई एग्जिक्युटिव केसेज हों तो तहसील पंचायत को किये जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जनता को सुविधा और भविष्य में अच्छा न्याय मिलने के हेतु, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, मेरे संशोधन को स्वीकार करें ।

सब क्लाज (३) में मेरा जो संशोधन है उस पर मेरा निवेदन है कि जैसा कि मैंने ऊपर कहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ही किया है। इस वास्ते तहसील पंचायत के अधिकार में न रखकर मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट साहबान के समक्ष न्याय के लिए रखा जावे ।

**श्री जवानसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मेरे संशोधन इस प्रकार हैं:—

"In sub-clause (2) the words 'S.D.O. or Munsiff, as the case may be' be substituted for the words 'Tehsil Panchayat........behalf.'

"In sub-clause (3) the words 'S.D.O. or Munsiff, as the case may be' be substituted for the words 'Tehsil Panchayat'."

जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सदन के सामने पंचायतों के हुक्मों के खिलाफ दिये गये फैसलों की अपीलें तहसील पंचायतों के बजाय एस. डी. ओ. और मुन्सिफ के पास होनी चाहिये पर जो किया है मैं भी उसका समर्थन करता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार कि हमारे मंत्री महोदय ने थोड़ी देर पहले क्लॉज २७ के कंसीडरेशन (consideration) के समय जो कुछ सदन के सामने निवेदन किया

[श्री जवानसिंह]

था उससे तो हम इसी आशय पर पहुंचते हैं कि किसी विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिये ही अपील जुडिशियरी में लेने की बात कही जाती है। मैं यह कहूंगा कि वास्तव में यह बात किसी विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने की गरज से नहीं कही गई है। जहां कोर्ट्स में मामले पेश किये जाते हैं उसमें किसी विशेष वर्ग को फायदा होता है, यह कह कर तो माननीय मंत्रीजी जुडिशियरी के खिलाफ एक इल्जाम लगा रहे हैं यह अपील एस. डी. ओ. या मुन्सिफ के पास होने की बात तो मैं समझता हूं कि इन्साफ पाने की गर्ज से ही रखी गई है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का यदि यही आशय हो कि जुडिशियरी किसी वर्ग विशेष के फायदे के लिये है तो मैं कहूंगा कि शायद वे अपने इस लगाये हुए इल्जाम को वापिस लेंगे। मेरी तो यह मान्यता है कि जुडिशियल साइड में लोगों को इन्साफ मिलता है और इसीलिये उसको बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट बनाना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय अध्यक्ष, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि वे अपील का अधिकार जुडिशियल साइड में रखें तो कोई अनुचित नहीं होगा। यह मांग इन्साफ के लिये करते हैं और यदि आप इसको मंजूर नहीं करते तो मैं आपसे एक बार फिर जनता के प्रतिनिधि के नाते निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करें क्योंकि इन्साफ के लिये तो जुडिशियरी की तरफ जाना है। यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिये इसको रखना चाहते हैं कि यह अधिकार तहसील पंचायतों को रहे तो इसका मतलब तो यह नहीं होता कि इन्साफ के लिये लोगों को जुडिशियरी में न जाने दें। क्या आप पंचायतों के पंचों को जुडिशियरी के जजों से ज्यादा अच्छे समझते हैं? आपने पंचायत एक्ट में क्रिमिनल कोड, आई.पी.सी. रखा है और क्या आप तहसील और गांवों के पंचों से यह उम्मीद रखते हैं कि वे आई.पी.सी. या कानून शहादत के क्लाजों को इस तरह से समझ जावेंगे जिस प्रकार मुन्सिफ और एस. डी. ओ. समझते हैं और क्या जनता को उसी प्रकार न्याय दिया जायगा जिस प्रकार जुडिशियरी में दिया जाता है। यदि मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि पंचायतों को इस प्रकार के पॉवर्स दिये जावें तो मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको बाद में भी दे सकते हैं। आप जब ठीक समझें कि वे अपने पॉवर्स को ठीक तरह से काम में लेने योग्य हैं तो दे सकते हैं। मगर मौजूदा हालत को देखते हुए मैं तो यह कहूंगा कि इस तथ्य को आंख से ओझल नहीं किया जा सकता और न आपको करना ही चाहिये। आपको तहसील पंचायतों को वे अख्तयार नहीं देने चाहिये जिसमें वे अवश्य असफल हों। आपने साथ में यह भी कहा है कि इसमें रिविजन के अख्तयार अवश्य रखे हैं। मैं यह कहूंगा कि ग्राम पंचायतों के बाद तहसील पंचायतों का चुनाव होगा। अगर इस बीच में कोई आपस में झगड़ा हो गया और फैसला हुआ तो उसके लिये क्या प्रोविजन है?

श्री **रामकरण जोशी**—क्या माननीय सदस्य क्लॉज २७ पर बोल रहे हैं या . . .

श्री **जवानसिंह**—मैं अपने संशोधन पर ही बोल रहा हूं। मगर माननीय मंत्रीजी ने क्लाज २७ पर जो बातें कही थीं उनका हवाला दे रहा हूं।

श्री **रामकरण जोशी**—सवाल है कि मैंने कहा। मैंने तो अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है।

श्री **जवानसिह**—आपने क्लाज २७ पर बोलते हुए कहा था उसका हवाला देकर कह रहा हूं ।

मैं यह कह रहा था कि तहसील पंचायतों से पहले ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है । यदि तहसील पंचायत के चुनाव से पहले ऐसी परिस्थिति आपके नजदीक आती है तो आप क्या करेंगे ? आपने यह कहा है कि रिविजन का अख्तयार हमने इसमें रक्खा है । मगर प्रश्न यह है कि आपको उस समय अपील का अधिकार रखना होगा । यदि तहसील पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं और पचायत से फैसला हो चुका है तो उस अशनाय में आप क्या करेंगे ? क्या उस समय के बीच जनता के अधिकार को आप खा जाना चाहते हैं ? इसलिये मैं बार बार यही निवेदन करना चहता हूं कि आपको अपील का अधिकार उन्हीं लोगों को देना चाहिये जो उनका अच्छी तरह से उपयोग कर सकें ।

इतना कहकर मैं यही कहूंगा कि मैंने जो संशोधन रखा है उसको मंजूर किया जावे ।

श्री **रामकरण जोशी**—माननीय अध्यक्ष, मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि मौजूदा न्यायालयों के बारे में मैं कोई कमेन्ट नहीं करता । लेकिन पंचायती न्याय बनाया जावे और प्रजातन्त्र देशों में जो इसका महत्व है उसकी तरफ मेरा इशारा है । इसलिये मैं समझता हूं कि तहसील पंचायतों और ग्राम पंचायतों में जो न्याय जनता को मिलेगा या प्राप्त होगा वह अच्छा होगा और जो अधिकार दिये गये हैं उनके बारे में आपको उसका नतीजा अच्छा मिलेगा बजाय किसी राज्य के महकमें के, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं । पहली बात यह बताऊंगा कि न्याय में जुडिशियरी और एग्जिक्युटिव पॉवर्स सब एक साथ नहीं होने चाहियें, मैं समझता हूं कि पंचायतों के लिये ऐसी बात नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि मुन्सिफ और एस.डी.ओ. के पॉवर्स के बारे में जनता को अपील के जो पॉवर्स की बात कहते हैं तो हम कोई नई चीज नहीं करते हैं क्योंकि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस प्रकार हमारे जन्मसिद्ध अधिकारों को सुरक्षित कर लेंगे ।

एक बात यह कही जाती है कि तहसील पचायतों के लोग नहीं समझ सकेंगे, वे निरक्षर भट्टाचार्य होंगे । मैं समझता हूं कि हमारे इस सदन में कई सरपंच हैं जो निहायत ही काबिल हैं और अपना काम बड़ी काबलियत के साथ एडमिनिस्टर करते हैं और यह किसने कहा और कब कहा था कि जो एसेम्बली बनेगी, पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसमें ऐसे आदमी चुन कर नहीं आवेंगे और फिर उनको यह अधिकार कैसे दिया गया ? मैं कहूंगा कि इसमें सब लोग आ सकते हैं, क्वालिफाइड (qualified) लोग भी आ सकते हैं । इस बात को कॉस्टिट्युशन आफ इन्डिया ने मंजूर किया है ।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपसे निवेदन करूं कि प्रजातन्त्र में यह बात है, यह क़ायदा है कि जिस बॉडी (body) में जितनी शक्ति होती है उसके लिये उसमें उतने ही उपयोगी व्यक्ति आते हैं, दूसरे नहीं आ सकते । यह पंचायतें प्रभावशाली ही तभी बनेंगी जब कि इनमें शक्ति होगी । जब कि इनमें शक्ति होगी तो पढ़-लिखे लोग जो केलिबर में किसी से कम नहीं होंगे वही चुने जाकर आकर बैठेंगे और पंचायती तरीकों से न्याय करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे ।

[श्री रामकरण जोशी]

इसलिये मेरा निवेदन है कि जनतंत्र में हमें विश्वास रखते हुए कभी भी यह ख्याल नहीं रखना चाहिये कि कोई पंचायत या तहसील पंचायत अत्याचार, जुल्म कर सकती है और अत्याचार करने के लिये ही चुनी जा सकती है। इसलिये में आपसे निवेदन करना चाहता हू कि इसमें कोई इस तरह की शंकाओं की गुंजाइश नहीं है। मेरी तरफ से कोई और कमेन्टरी (commentry) की आशा नहीं करते हुए मेरी तरफ से यही मानें कि में पंचायती राज्य में विश्वास करता हूं। पंचायतें अच्छा न्याय दे सकती हैं, आप इसको मंजूर करें और इनको समाज के लिये अहितकर नहीं समझें तथा पंचायतों के सरपंच जो काबलियत से काम कर रहे हैं, जो सदन में इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ बैठे हुए हैं उनके बारे में इस तरह की शंका नहीं करें।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी ने इसे पास किया है और आप भी पंचायती राज्य में विश्वास करते हुए इसे मंजूर करें।

श्री **उपाध्यक्ष**—(श्री शंभूसिंहजी की ओर लक्ष्य करके) आप अपने अमेंडमेंट को विड्ड्रा करना चाहते हैं या प्रेस करना चाहते हैं?

श्री **शंभूसिंह**—माननीय मंत्रीजी ने कहा कि पंचायतें ऐसी होंगी जिनके अधिक अधिकार होंगे उन अधिकारों का उपयोग करने के लिये वैसे भी उपलब्ध हो जायेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आया। इस वक्त जो पंचायतों में ढंग है हम गांवों में रहने वाले लोग उसे देखते हैं कि जनता में उनके काम से बड़ा असन्तोष है। हो सकता है कि आगे चल कर उच्च स्तर के पंच उपलब्ध हो जावें, देश में शिक्षा का ज्यादा प्रसार होने से कॉम्पिटेन्ट आदमी मिल सकें, तो फिर बाद में क्या हम इस कानून में अमेन्डमेन्ट नहीं ला सकते? फिर तब ही हम जुडिशियरी पंचायतों को हैन्ड ओवर कर सकते हैं। आज मौजूदा सूरत में तो पंचायतों के पास एग्जीक्युटिव ही रहना चाहिये। वैसे देखा जाय तो किसी एजेंसी के पास ये दोनों पॉवर हों उस एजेंसी के पास एग्जीक्युटिव और जुडिशियरी दोनों का रहना प्रजातन्त्र के उसूल के खिलाफ है। जिस एजेंसी से जैसी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये वह नहीं हो सकती। इस वास्ते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही प्रोविजन है कि एग्जीक्युटिव और जूडिशियरी अलग अलग रहने चाहियें।

पहले हमारे यहां अंग्रेजों का राज्य था, कोर्ट्स को हम अपना नहीं मानते थे, हम गुलाम थे इसलिये कोर्ट्स में विश्वास नहीं करते थे। अब तो यह कोर्ट्स भी हमारे ही हैं। कोर्ट्स हम पर हुकूमत करने वाले नहीं बल्कि हमको न्याय देने वाले हैं। तो फिर क्या वजह है कि हम हमारे रेगुलर कोर्ट्स से इस प्रकार असहयोग करें, कोई वजह समझ में नहीं आती। बाद में यदि हम देख लेंगे कि तहसील पंचायतों में कॉम्पिटेंट आदमी पहुंच गये हैं तो फिर हम बाद में भी संशोधन कर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन मंजूर कर लिया जाय।

श्री **जवानसिंह**—मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि हालांकि में उधर नहीं बैठा हुआ हूं पर इधर बैठते हुए भी मेरी उनके साथ सहानुभूति है, इसलिये उम्मीद है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा इसलिये मैं सिद्धान्त के तौर पर अपना संशोधन वापिस लेने को तैयार नहीं हूं। मेरा संशोधन प्रस्तुत है, इस पर विचार किया जाय।

# Page No.63



**श्री रामकरण जोशी**—मुझे मंजूर नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष**—The question is that the amendment moved by Jawan Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri Sambhu Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

Now the question is that clause 58 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The clause is added to the Bill.

(विराम)

Clause 59.

श्री हरिदत्त, अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

(श्री हरिदत्त अनुपस्थित)

**श्री शंभूसिंह**—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लाज नम्बर ५९ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

In sub-clause (1) before the Commencing words add the following to begin the sentence—

"For the purposes of executive and administrative affairs."

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५९ जो बनाया गया है वह इस दृष्टि से बनाया गया है कि जिस तहसील पंचायत को जुडिशियल और एजीक्युटिव दोनों काम करने हैं, पर पहले के संशोधन में मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि अभी हम तहसील पंचायतों को सुपुर्द करना नहीं चाहते हैं तो तहसील पंचायतों के पास क्या काम रह जाता है। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है। इसका आशय यह है कि एग्जीक्युटिव और एडमिनिस्ट्रेशन का कॉंस्टिट्युशन होगा तहसील पंचायतों का। इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील पंचायतों से जुडीशियरी को अलग करके अपील के लिए कोर्ट में रखा जावे और तहसील पंचायतों के पास एग्जिक्युटिव और एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहेगा।

जुडिशियल का काम निकल जाने के बाद तहसील पंचायत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्युटिव का काम बाकी रहेगा। बहुत बडी तहसीलें होने के कारण उनके पास और भी कई तरह के काम होंगे। ऐसी हालत में यदि जुडिशियल का काम भी उनके पास रहेगा तो उनको इतना समय नहीं मिलेगा कि वे सार्वजनिक कल्याण के काम में ज्यादा समय लगा सकें। जुडिशियल का काम उनसे लेकर रेगुलर

# Page No.64



[श्री शम्भुसिंह]

कोर्ट (regular court) को देगें तो निश्चित रूप से उनके पास काफी समय रहेगा और सार्वजनिक काम में ज्यादा समय दे सकेंगे और एक्जीक्युटिव काम को अधिक अच्छी तरह से सम्पन्न कर सकेंगे। इसलिय मैंने यह अमेन्डमेन्ट रक्खा है। आशा करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

**श्री रामकरण जोशी**—जितने अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज पर हैं उन सबको एक साथ ले लें तो ठीक रहेगा।

**श्री अध्यक्ष**—श्री तनसिंह (अनुपस्थित)

**श्री रामकरण जोशी**—इस क्लॉज पर पहले जो अमेन्डमेन्ट आये हैं उनको भी मैंने स्वीकार नहीं किया है और मैं बाध्य होकर इसे भी अस्वीकार करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—Do you want to withdraw?

**श्री शंभुसिंह**—No, Sir.

**श्री अध्यक्ष**—The question is that the amendment moved by Shri Sambhu Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Now the question is that Clause 59 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 59 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 60 is taken as moved. Shri Sambhu Singh to move his amendment.

**श्री शंभुसिंह**—क्लॉज नम्बर ६० पर मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है।

"In line 3 for the words 'Tehsil Panchayat' substitute the words 'Munsiff and Magistrate' and delete the proviso to this sub-clause."

उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेन्ट को प्रस्तुत करने का मेरा प्रयोजन यह है कि जब हम तहसील पंचायतों से जुडिशियल का काम अलग कर रहे हैं तो फिर जिन जिन क्लॉजेज़ में तहसील पंचायतों का जुडिशियल काम का हवाला आवेगा वहां वहां तहसील पंचायतों के स्थान पर मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट करना होगा।

# Page No.65



[श्री भूसिंह]

पर क्योंकि मेरा पहला संशोधन अस्वीकार कर दिया गया है तो फिर यह संशोधन निरर्थक हो जाता है। फिर भी में हाउस से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मंजूर करे।

श्री **रामकरण जोशी**—मुझे दुखः है कि में इसे बिल्कुल नामंजूर करता हूं। इसलिये में श्री शंभुसिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे वापिस ले लें।

श्री **शंभुसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यदि में इस संशोधन को वापिस ले लूंगा तो वे खुश होंगे, इसलिए में संशोधन को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**—Is it the leave of the House to grant him permission to withdraw his amendment.

(आज्ञा प्रदान हुई)

Leave is granted.

श्री **शंभूसिंह**—में अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**—Then there are no other amendments. The question is that clause 60 be accepted and added to the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 60 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 61 is taken as moved. The question is that clause 61 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

It is added to the Bill.

(विराम)

The question is that clause 62 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

It is added to the Bill.

(विराम)

# Page No.66



[श्री अध्यक्ष]

On clause 63 there is no amendment. The question is that the clause stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

It is added to the Bill.

(विराम)

Chapter V. Panchayat Fund and Budget. clause 64

Yes, Shri Hari Dutt.

(अनुपस्थित)

I think no body else wants to speak on this clause.

(विराम)

So I put the question. The qu stion is that Clauce 64 stand part of tle Bill.

(स्वीकृत)

Clause 64 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 65, Shri Ram Karan Joshi

(विराम)

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—इसके पहले में सूचनार्थ एक निवेदन कर दूं तो ठीक होगा । जिन मित्रों के अमेन्डमेन्ट आए थे उनके लिये १६ तारीख को हम एक साथ बैठे थे और हम सबों ने कुछ को स्वीकार कर लिया था और कुछ को अस्वीकार कर लिया था । अगर उसी तरह से और उन बातों को ध्यान में रख कर अमेन्डमेन्ट मूव किए जायं तो बहस करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—माननीय उपाध्यक्ष, संबंधित मंत्री महोदय से यह पूछा जाय कि इस क्लॉज में कौन से अमेन्डमेन्ट सदन के सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिये थे और कौन कौनसे नहीं, बाद में हम तय करेंगे कि अमेन्डमेन्ट्स पेश करने की जरूरत है या नहीं?

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—सबों ने मिलकर सब अमेन्डमेन्ट्स में से कुछ स्वीकार कर लिये थे और कुछ अस्वीकार किए थे । यह बात एक जगह बैठ कर तय की गई थी ताकि सदन में बहस न हो । मेरा तो यही निवेदन है कि अगर आपको बातें मन्जूर हैं तो जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है और नामन्जूर है तो बहस शुरू करियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—But you have not put up the form which was agreed to by all, in which this clause should be taken in the House.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(1) In sub-clause (1), the words 'one or more of' deleted by the Select Committee be retained as they were in the original Bill.

(2) Part (f) in respect of 'Octroi' of Sub-clause (1) to be deleted and the present part (*j*) to be renumbered as (*k*) and (*j*) will be as under:—

"(*j*) a tax for arranging the supply of drinking water within the Panchayat Circle; and."

(3) After clause 65 of the Bill, the following new clause 65 (*A*) be added :—

"65 (*A*) Special Tax and Community Service :—

A Panchayat may, with the previous permission of the Government impose a special tax on the adult male members of the Panchayat area for the construction of any public work of general utility for the inhabitants of the said area;

Provided that it may exempt any member from payment of this tax in lieu of doing voluntary labour or having it done by another person on his behalf.'

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब यह क्लॉज एज अमेन्डमेन्ट स्वीकार है ?

श्री उपाध्यक्ष—He has read out the amended thing and the rest is as it is.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर मुझे केवल एक अमेन्डमेन्ट मूव करना है। पहले मैं इस बात को साफ कर दूं कि वहां १६ तारीख को ऐसा कुछ नहीं तय हुआ था कि कोई भी अमेन्डमेन्ट मूव नहीं किया जाय किन्तु तय यह हुआ था कि जहां तक मुमकिन हो, जो अमेन्डमेन्ट छोड़ने लायक हों उनको छोड़ दिया जाय, और उसके बाद दो-तीन अमेन्डमेन्ट्स रखे गए। चार भी हो सकते हैं किन्तु जहां तक अमेन्डमेन्ट्स का सवाल है उन बातों पर डिसएग्रीमेन्ट हो गया था। इसलिये इस दृष्टि से ओक्ट्रोय वगैरह के बारे में बहस हो चुकी है और वह मंजूर भी हो चुकी है। मुझे इस सिलसिले में आगे कुछ नहीं कहना है। इस ओक्ट्रोय को डिलीट करने का फैसला हो गया है।

मैं सिर्फ क्लॉज ६५ के (१) के पार्ट 'ए' के बारे में जो अमेन्डमेन्ट है उसके बारे में कुछ कहूंगा। माननीय उपाध्यक्षजी, यदि इस क्लॉज के अलग अलग अंगों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जो टैक्स पंचायतें लगा सकती हैं उनमें तीन प्रकार के टैक्सों का जिक्र है, ए. बी. और सी।

(a) A tax on the rent payable.
(b) A tax on the rent received.
(c) A tax on the assumed rental value.

Page No.68



[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

मेरा यह आग्रह है माननीय उपाध्यक्षजी, कि टॅक्सेशन के जो सिद्धान्त हैं वे एक बात को मानकर चलते हैं और वह बात यह है कि कोई आमदनी का जरिया हो, किसी को कोई फायदा का जरिया हो उसी पर यह टॅक्स लगाया जाता है । तो इस प्रकार से "A tax on the rent received" जिन जमीनों का लगान के रूप में किराया लिया जाता है, लगान लिया जाता है उन लगान लेने वालों पर टेक्स लगाना न्याय संगत है, वाजिब है और उसी प्रकार से जो खुद काश्त के रूप में जमीनें रखे हुए हैं और उसका assured rental value पर टेक्स लगाया जाता है तो वह वाजिब है किन्तु जो लगान देते हों अर्थात् जिनको सालो साल जमीन की उपलब्धि के लिए पैसा देना पड़ता है, फसल करने के लिए पैसा देना पड़ता है, उनसे भी एक जमीनदार या जमीन के मालिक की हैसियत के बराबर लगान वसूल किया जाय और कहा जाय कि तुम लगान देते हो इसलिये टॅक्स भी दो तो यह कहां का न्याय है । हमारे सामने लाया जाय कि किस आधार पर यह टॅक्सेशन का कानून बनाया गया है ? अतः माननीय उपाध्यक्ष जी मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि इस क्लॉज का जो पार्ट (ए) है वह रत्ती भर भी न्याय संगत नहीं है । जिस आदमी पर बहुतसा बोझा लदा हुआ है, जो आमदनी नहीं करके पैसा दे रहा है, जो कमाई नहीं कर रहा है, जो जमीन को इस्तेमाल करने का किराया दे रहा है, उसके किराए पर टॅक्स लगाना या जो आदमी जमीन प्राप्त कर उससे कमाता है उस पर टॅक्स लगाना यह कहीं भी न्याय संगत तरीका नहीं गिना जा सकता है । इसीलिए माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज के पहले हिस्से में सब-क्लॉज (१) में मेरा यह अमेन्डमेन्ट है कि 'ए' को डिलिट कर दिया जाय ।

दूसरी चीज जो उस दिन तय हुई थी और जिसे माननीय मंत्रीजी चबा गए और वह थी पार्ट (२) के सबंध में । उस दिन यह भी तय हुआ था कि इस क्लॉज के पार्ट दो को भी डिलीट कर दिया जाय और वह क्यों डिलीट कर दिया जाय इसका भी कारण है । जिन कारणों की वजह से "One or more of the following taxes" की यह रकम मंजूर की जाती है तो उन्हीं कारणों के अनुसार "Part (2) of the clause" डिलीट करना भी मंजूर किया जा सकता है । यह क्यों हो ? उसमें यह है कि एक ओर टॅक्स लगाने का अधिकार पंचायत को देते हैं और दूसरी ओर पंचायत में अविश्वास भी व्यक्त करते हैं ।

**श्री रामकरणजोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—यह ठीक है । यह उस दिन हुआ था ।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—यह मान लिया गया है । अतः यह आवश्यक नहीं है कि पार्ट २ के विषय में कुछ कहा जाय । मेरा एक ही एमेन्डमेन्ड सब क्लॉज (१) को डिलीट करने का रह जाता है उसको में प्रस्तुत करते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

**श्री भैरू सिंह**—माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले में यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने अभी कई संशोधन स्वीकार करने की बाबत इस सदन के समक्ष अपनी राय जाहिर की है ।

इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस क्लॉज पर काफी संशोधन प्रस्तुत किये हैं इसलिये उन संशोधनों के प्रस्तुत करने के कारण से और माननीय मंत्री महोदय ने जिन जिन को मन्जूर किया उन दोनों को साथ साथ देखा और देखने के बाद में. . . . .

# Page No.69



श्री रामकरण जोशी—माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि मुझे गलत समझा गया है। मैंने यह कहा था कि सब लोग साथ साथ बैठे थे और सब एक राय पर थे कि इस तरह के तरीके हम निकालें कि हमें इस पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता न रहे। मैंने इसका जवाब नहीं दिया था।

श्री भैरू सिंह (जारी)—माननीय उपाध्यक्ष जी, जो वह मीटिंग हुई थी दुर्भाग्यवश मैं उसमें नहीं था इसलिये मैं अपने संशोधन के बारे में विचार न रख सका। इसके पूर्व मैं चाहता हूं कि जो संशोधन उस मीटिंग में माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार करने का आश्वासन उनको दिया है और उस पर संशोधित क्लॉज रक्खा गया है तो उस पर विचार करने के लिये मुझे अवश्य मौका मिलना चाहिये ताकि उन दोनों को एक साथ लेकर मैं अपने विचार सदन के सामने रख सकूं। इसलिये आज इसे न लिया जाकर बाद में लिया जावे तो अच्छा होगा।

श्री रामकरण जोशी—इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

(बातचीत के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज ६५ दूसरे क्लॉज के साथ विचार करने के लिये फिलहाल स्थगित रक्खा गया है। अब क्लॉज ६६ लिया जाता है।

(विराम)

The Question is that clause 66 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

So clause 66 is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to clause 67.

Shri Bhaironsingh will move his amendment.

श्री भैरू सिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, इस क्लॉज में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

"(*a*) Insert the words 'And Tehsil Panchayat' after the word 'Panchayat' in first line.

(*b*) Add the following after the word 'manner':

'and if any Panchayat and Tehsil Panchayat fail to get the accounts audited in the manner prescribed, the Panchayat and the Tehsil Panchayat will not be entitled to make any expenditure without the previous sanction of the Tehsil Panchayat and the Chief Panchayat Officer accordingly.' "

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस वक्त इस बिल की क्लॉज १६ सदन के सन्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी उस वक्त मैंने निवेदन किया था कि आजकल अकाउन्ट्स के मामले को लेकर पंचायतों में जल्दी ही लोगों का अविश्वास पैदा हो जाता है और इसके कारण पंचायत अपने अधिकारों का सदुपयोग ठीक

[श्री भैरूँसिंह]
प्रकार से जनता के हित में नहीं कर सकती और जनता भी ज्यादा उम्मीद इन पंचायतों से अपनी सेवा की नहीं रख सकती। इस कारण क्लॉज १६ में मैंने एक संशोधन रक्खा था कि जो ड्युटीज पंचों की हैं उनमें उनकी एक ड्यूटी और वढ़ा दी जावे कि वे १५ दिन के अकाउन्ट्स पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया करें।

पर माननीय मंत्रीजी ने अकाउन्ट्स के सम्बन्ध में यह विश्वास देकर कहा था कि इस प्रकार के रूल्स हम बना देंगे कि जिससे इन पंचायतों का अकाउन्ट्स नोटिस वोर्ड पर लगा दिया जाया करेगा ताकि पंचायतों के वारे में यह अविश्वास का कारण न बनने पावे। मैं निवेदन करूंगा कि उनकी मंशा से यह करीब क़रीब साफ जाहिर होता है कि अकाउन्ट्स के मामले को लेकर मंत्री महोदय के मन में भी आशंका है कि पंचायतों के प्रति लोगों का अविश्वास इस कारण से पैदा हो सकता है। पैसे का मामला ऐसा ही होता है। पैसे के मामले में पंचायतें गड़बड़ न कर दें इसलिए उनके हिसाब को ऑडिट करने के लिए इस क्लॉज द्वारा ऑडिट कराते रहने की मंशा है वह जो सरकार क्लाज में इस प्रकार है :—

"The accounts of every Panchayat shall be audited every year in the prescribed manner."

इसमें यह है कि पंचायतों के अकाउन्ट्स हर साल ऑडिट किय जावेंगे।

लेकिन तहसील पंचायत का हिसाब ऑडिट नहीं किया जावेगा, इस संबंध में हमारी मंशा इस क्लॉज से पूरी नहीं होती।

श्री **रामकरण जोशी**—मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री **भैरूंसिंह**जारी—चूंकि मेरा यह संशोधन तो स्वीकार कर लिया गया है इस वास्ते उचित नहीं समझता कि मैं इस पर ज्यादा कहूं।

मैंने दूसरी जो वात कही है वह यह कि अगर तहसील पंचायत और पंचायत एक साल में अपना हिसाब ऑडिट नहीं करायें तो उनके लिए कोई न कोई अंकुश चाहिये। अगर वे ऑडिट नहीं कराते हैं और खर्च करते रहते हैं और यदि कोई पंचायत पैसे का दुरुपयोग करती रही है और करती रहे तो उस हालत में अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई तो इन पंचायतों के पैसे का दुरुपयोग होता रहेगा। इसलिए जो पंचायत या तहसील पंचायत निर्धारित समय में या उसके बाद भी अगर अपने हिसाब का ऑडिट न करायें तो उन्हें अधिकार नहीं रहना चाहिये, उस पंचायत के बजट में से एक पाई भी खर्च करने का। और इस बीच में जब तक कि उनका आडिट न हो जावे पंचायत का काम चलाते रहने के खातिर यदि पंचायत है तो उसे तहसील पंचायत की आज्ञा के विना और यदि तहसील पंचायत ने आडिट नहीं कराया तो केन्द्रीय पंचायत ऑफिसर की आज्ञा के विना एक पैसा भी वे खर्च न करें। इसका नतीजा यह होगा कि जिनका १२ महीने का हिसाव आडिट के लिए पड़ा है वे सारे के सारे मजवूर होकर ऑडिट कराएंगे और अगर आडिट समय पर हो गया तो ठीक है, एक भी पैसे के दुरुपयोग का कारण नहीं रहेगा। मैं समझता

# Page No.71



[श्री भैरोंसिंह]
हूं कि इस दृष्टि से मेरा संशोधन ठीक है और किसी को इसमें शंका नहीं होनी चाहिये। मंत्री महोदय भी इसे स्वीकार कर लेंगे. ऐसी मेरी आशा है।

श्री रामकरण जोशी—माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो संशोधन आया है कि अगर वे ऑडिट न कराएं तो एक पैसा भी खर्च करने का उनका अधिकार न दिया जाए, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि यह ऑडिट कराने न कराने की जिम्मेदारी केन्द्रीय विभाग की है। यह जिम्मेदारी तहसील पंचायत या पंचायत की नहीं। हां, अगर वे इन्कार करते हों ऑडिट कराने से तो रेस्ट्रिक्शन (restriction) लगा सकते हैं। पर ऑडिट कराना यह विभाग की जिम्मेदारी है। वही इसका इन्तजाम करता है और इसके लिए विभाग सतर्क है। इसलिये इस तरह के रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने मेरे संशोधन का उत्तर देते हुए यह फरमाया कि ऑडिट का काम विभाग का है।

इस संबंध में मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा। जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के समय को बढ़ाने का बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था उस वक्त माननीय मंत्रीजी ने या अन्य सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनका पांच-पांच साल से हिसाब ऑडिट नहीं हुआ। तो इसको देखते हुए इसी कारण से मैंने ऐसी व्यवस्था करने के लिए इस संशोधन में तजवीज की है ताकि इस तरह होने से जनता के पैसे का सदुपयोग हो और बारहवें के बारहवें महीने वे अपना हिसाब ऑडिट करवा लें। अब विभाग तो कराएगा ही पर इसका थोड़ा बोझा पंचायतों पर भी रहे तो कभी ढील नहीं हो सकती। विभाग तो प्रयत्नशील रहेगा ही पर अगर कभी वह भी देरी करे तो पंचायतें स्वयं प्रयत्नशील रहें। तो इस दृष्टि से यह संशोधन अच्छा रहेगा और यह पंचायत पर एक प्रकार का बोझा रहेगा इसलिये निवेदन करूंगा कि सदन मेरे इस संशोधन के पक्ष में मत दे कि पंचायतें और तहसील पंचायतें दोनों अपने अपने हिसाब को बारह महीने के अन्दर ऑडिट कराए।

श्री उपाध्यक्ष (श्री रामकरण जोशी को सम्बोधित करते हुए)।
Do you accept this.

श्री रामकरण जोशी—No, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—The question is that amendment moved by Shri Bhaironsingh be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

The question is that clause 67 as amended, which is as under be accepted and added to the Bill :—

"The accounts of every Panchayat and Tehsil Panchayat shall be audited every year in the prescribed manner."

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

Clause 67 as amended is added to the Bill.

## राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक, १६५२

श्री टीकाराम पालीवाल (उप मुख्य मंत्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the final report of the Select Committee on the Bill to provide for special measures to prevent the activities prejudicial to the security of the State be further extended to the first week of the commencement of the next Session of the Rajasthan Legislative Assembly.

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to extend the date?

(स्वीकृत)

श्री एच. के. व्यास—I want to have a piece of information, Sir. Whether this motion has been accepted by the Members of the Committee? Do we take it that the Committee wants the extension of the time or the Chairman only wants without asking the members of the Committee for the extension of time.

श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मित्र जरा भ्रम में हैं। इसमें सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इस बिल को माननीय मंत्री चला रहे हैं इसलिए उनका कर्तव्य है कि एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लिक उनको देखना है वे समय पर इसका सदन की मन्जूरी के लिए पेश न कर सकें और सदन के सम्मुख रिपोर्ट पेश नहीं कर सकें। संबंधित मंत्री को अधिकार है कि वे सदन से रिपोर्ट पेश करने की तारीख बढ़ाने के लिए इजाजत लें। उनका सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं रहती।

श्री उपाध्यक्ष—The motion is accepted.

## राजस्थान तमाखू विक्रेता अनुज्ञा पत्र विधेयक, १६५३

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—Sir, I present the names of the Members of the Select Committee on the Rajasthan Tobacco Dealers' Licensing Bill, 1953.

They are as follows :—

1. Shri Tejmal Bapna.
2. Shri Harishanker Siddhant-shastri.
3. Shri Shah Alimuddin.
4. Shri Badriprasadji.
5. Shri Motichand Khazanchi.
6. Shri Dr. Mangalsingh.
7. Shri Ramdayalji Upadhya.
8. Shri Shiamlal Goyal.
9. Shri Motilal Jain.
10. Shri Srigopal Bhargava.
11. Shri Kesrisingh Kapren.
12. Shri H. K. Vyas.
13. Shri Mansingh.
14. Shri Muktilal Modi.
15. Shri Jawan Singh.
16. Shri Bhaironsingh of Kachariawas.
17. Shri Bhaironsingh of Kelwa.
18. Shri Ganga Singh.
19. Shri Bholanath.
20. Advocate General.

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री जवानसिंह के स्थान पर श्री जसवन्तसिंह का नाम पढ जानेपर)

# Page No.73



श्री **कुँवर जसवन्तसिंह**—I am a non-smoker Sir. I don't want to be a Member of a Tobacco-committee.

श्री **भोलानाथ**—The Committee would submit its report before the House before the 21st of this month.

श्री **उपाध्यक्ष**—Does the House accept the motion ?

(स्वीकृत)

The motion is accepted.

## सार्वजनिक सेवा आयोग का प्रतिवेदन

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे एक चीज आपके सम्मुख और सदन के नेता के सम्मुख पेश करनी है जिसका ताल्लुक भारत के संविधान से है। भारत के संविधान में यह दर्ज है कि हर साल पब्लिक सर्विस कमिशन के काम की रिपोर्ट श्रीमन् राजप्रमुख के सम्मुख प्रस्तुत की जायगी और उसके बाद हर साल एक रिपोर्ट, कि किन किन जगहों के किन किन केसेज में सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच राय में फर्क रहा, सदन के सामने प्रस्तुत की जायगी। कल के दिन पुराना साल खत्म हो चुका और मैं जानना चाहता हूं कि संविधान की इस धारा के बावजूद वह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं की गई, अब क्या कदम उठाया जायगा ? इस सिलसिले में मेरा आपसे निवेदन है कि संविधान के पालन में और उस पर पाबन्द रहने के लिए आप उचित कार्यवाही करें। मैंने इसी आशय का एक पत्र माननीय अध्यक्ष को भी आज से छः-सात रोज पूर्व भेजा था ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री **एच. के. व्यास**—उपाध्यक्षजी, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मुझे दो-चार मिनिट और दिये जायं । मैंने माननीय अध्यक्ष को करीब छः-सात रोज पूर्व इसी आशय का एक पत्र लिखा था। मुझे आशा थी कि इसकी सूचना मुझे साल खत्म होने के पहले मिल जायगी। लेकिन संविधान की महत्वपूर्ण अंग को अमल में नहीं लाया जा रहा है। सदन के नेता यदि इस विषय में कुछ सूचना दे सकें तो अच्छा रहेगा ।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—माननीय उपाध्यक्षजी, यह प्रश्न अब तक विचाराधीन नहीं था इसलिये इस पर ध्यान देना उचित मालूम नहीं पड़ा। जहां तक मेरा खयाल है साल ३१ तारीख को खत्म हो गया। वह रिपोर्ट ३१ तारीख को न दी जाकर ३१ तारीख के बाद दी जा सकती है। फिर भी मैं इस केस को स्टडी किये बिना कुछ नहीं कह सकता ।

श्री **एच. के. व्यास**—संविधान तो कल से लागू हुआ है ।

श्री **उपाध्यक्ष**—इसके लिये फिर ताकीद कर दी गई है ।

श्री **एच. के. व्यास**—इसके पहले जो दो साल बीत चुके उन दिनों की रिपोर्ट का क्या हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास—उन दो सालों में असेम्बली के अधिकार श्रीमन् राजप्रमुख को थे।

श्री उपाध्यक्ष—अब सदन की कार्यवाही कल दिनांक २ अप्रेल के ८.१५ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही १२.३० (मध्यान्होत्तर पर) दिनांक २-४-५३. के ८.१५ प्रातः तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १ अप्रेल, १९५३.

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८५८ का उत्तर देखिये )

**List of repair works sanctioned during 1952-53 Kotah-Irrigation Division, Bundi.**

| S. No. | Name of works. | Amount. |
|---|---|---|
| | *Tehsil Shahabad.* | |
| 1. | Filling rare slop of Rajpur tank .. .. .. | 3,800/- |
| 2. | Digging bed of Rajpur channel .. .. .. | 2,600/- |
| 3. | Repairs to Kheria Bund .. .. .. .. | 600/- |
| 4. | Construction of a sluice at Ratai tank .. .. .. | 2,200/- |
| 5. | Making formation level of Rajpur tank for avoiding danger of breach .. .. .. .. | 700/- |
| | TOTAL .. | 9,900/- |
| | *Tehsil Kishangarh.* | |
| 1. | Repairs to Ummed Sagar tank .. .. .. | 4,000/- |
| 2. | Making formation of Ramgarh canal .. .. .. | 3,000/- |
| 3. | Making formation of Ramgarh canal at R.D. 52 to 56 .. | 4,000/- |
| 4. | Repairs to regulators of Ramgarh canal .. .. | 2,000/- |
| 5. | Construction of Waste weir of Badipura tank .. .. | 10,000/- |
| 6. | Supplying and fixing wooden planks in bunds and canals | 600/- |
| 7. | Taking out bushes and stuff from Ramgarh canal .. | 600/- |
| 8. | Maintenance and bunds and canals in Irrigation season .. | 3,000/- |
| 9. | Keeping temporary beldars for rainy season .. .. | 800/- |
| 10. | Jungle clearance and grass cotting of canals and tanks .. | 1,500/- |
| 11. | Filling Nakas of Canals and sootlas. .. .. | 1,000/- |
| 12. | Filling Nakas of Moida Saran from Ummed Sagar .. | 1,800/- |
| 13. | Digging bad and closing breaches of sootlas Chattarpura from Ramgarh Canal .. .. | 150/- |
| | | 32,450/- |

## परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८६१ का उत्तर देखिये)

**List of cities and towns of Rajasthan to which the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950 has been applied.**

*Udaipur Division.*

1. Banswara.
2. Bhilwara.
3. Bhindar.
4. Shahpura.
5. Chittorgarh.
6. Pratabgarh.
7. Nimbhada.
8. Dungarpur.
9. Nathdwara.

*Jaipur Division.*

10. Alwar city
11. Amber.
12. Dausa.
13. Kishangarh.
14. Tijara.
15. Sambhar.
16. Bhusawar.
17. Bayana.
18. Weir.
19. Bharatpur.
20. Deeg.
21. Kaman.
22. Dholpur.
23. Chirawa.
24. Khetri.
25. Jhunjhunu.
26. Singhana.
27. Karauli.
28. Sawai Madhopur.
29. Malpura.
30. Newai.
31. Tonk City.
32. Sikar.
33. Bari.
34. Gangapur.
35. Rajgarh.
36. Hindaun.
37. Jaipur City.

*Bikaner Division.*

38. Bikaner City.
39. Churu.
40. Ratangarh.
41. Ganganagar.
42. Sadulgarh.

*Kotah Division.*

43. Baran.
44. Chhabra.
45. Kotah City.
46. Ramganj Mandi.
47. Sangoda.
48. Sironj.
49. Birjnagar.
50. Jhalarpatan.
51. Bundi City.
52. Lakheri.

*Jodhpur Division.*

53. Barmer.
54. Jaisalmer.
55. Jalore.
56. Jodhpur City.
57. Nagaur
58. Pali
59. Sirohi
60. Udaipur city
61. Bhawani Mandi (Kotah Division)

---